झारखण्ड सरकार

JHARKHAND GUIDELINES FOR SPONSORSHIP OF CHILDREN

झारखण्ड बाल प्रायोजन (स्पोंसरशिप) दिशा–निर्देश

2018

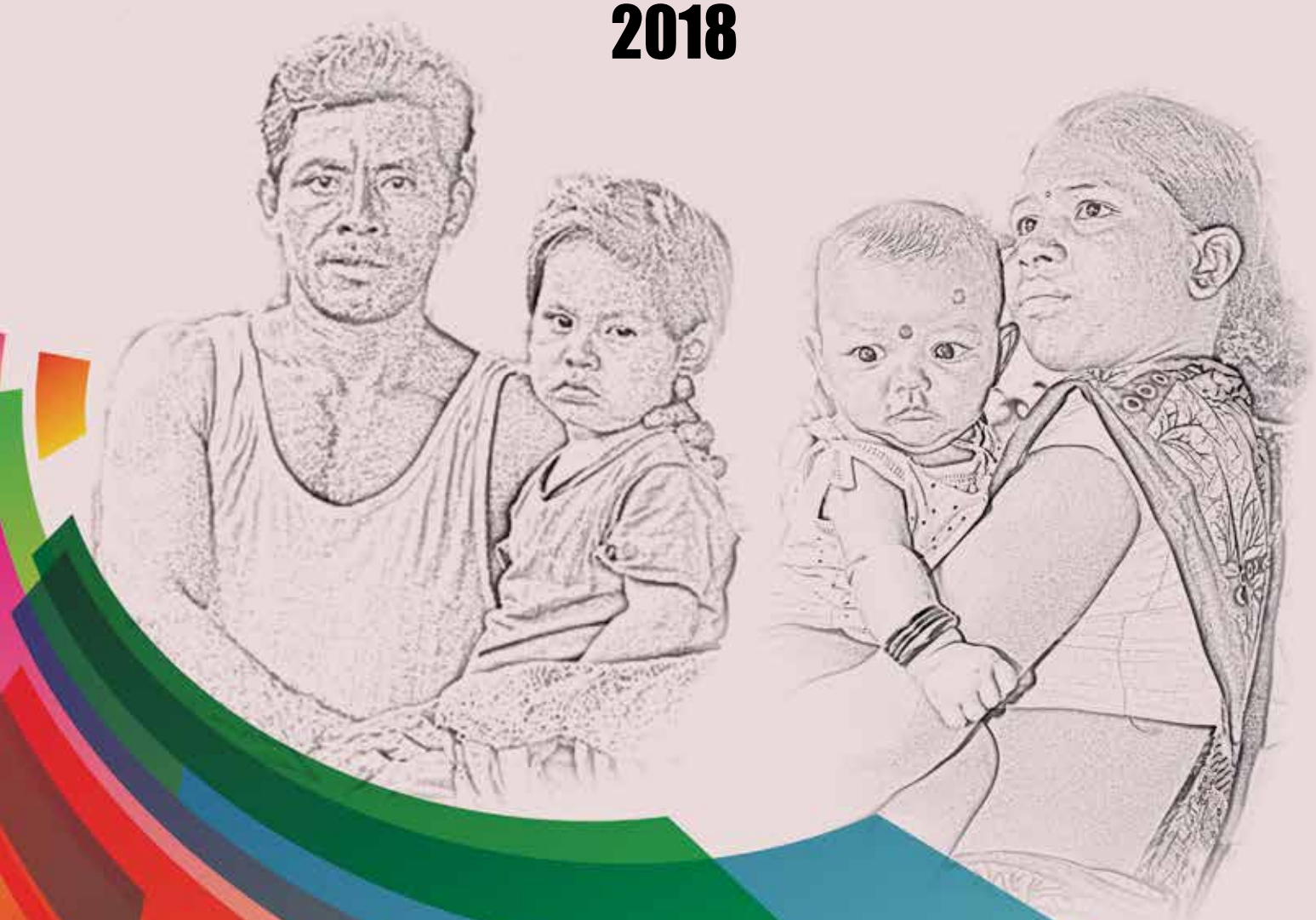

Jharkhand State Child Protection Society

Department of Woman & Child Development and Social Security

संचिका.संख्या- म०स०/आई सी पी एस (फोस्टर केयर)-42/17 912

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

झारखण्ड, रांची

राँची/दिनांक- 22·03·2018

संकल्प

विषय: झारखण्ड राज्य के अधीन विषम परिस्थितियों मे मौजूद 18 वर्ष तक के बच्चे (बालक/ बालिका) के पालन पोषण देखरेख एवं प्रायोजन (स्पोंसरशिप) हेतु दिशा निर्देशिका की स्वीकृति |

झारखण्ड राज्य के अधीन विषम परिस्थितियों मे मौजूद 18 वर्ष तक के बच्चे (बालक/ बालिका) के पारिवारिक पालन पोषण एवं देखरेख तथा प्रायोजन (स्पोंसरशिप) के संबंध में सम्यक विचारोंपरांत झारखण्ड बाल प्रायोजन (स्पोंसरशिप) दिशा निर्देश- 2018 तथा झारखण्ड पालन पोषण देखरेख दिशा निर्देश- 2018 अंगीकृत (परिशिष्ट I एवं II में संलग्न) किया गया है, जिसके द्वारा निर्णित है कि:-

2. 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे (बालक/ बालिका) जिनके परिवार की वार्षिक कुल आय रुपये 75000/- से ज्यादा नहीं होनी चाहिए | ऐसे बच्चे, जिनके माता- पिता की मृत्यु हो चुकी है या माता- पिता द्वारा बच्चे का परित्याग किया गया है और रिश्तेदार की देख- रेख में रह रहे है | ऐसे बच्चे, जिनके माता- पिता असक्षम है या गंभीर बीमारी से पीड़ित है, जिसमें एच.आई.बी/ एड्स/लेप्रोसी एवं शतप्रतिशत विकलांगता भी शामिल है अथवा माता/पिता अथवा दोनों कारागृह में है | बाल विवाह, बाल श्रम, बाल तस्करी या अन्य दुर्व्यवहार से प्रभावित बच्चे अथवा ऐसे बच्चे, जिन्हें किसी भी प्रकार की पुनर्वास सहायता की आवश्यकता है | इस संदर्भ में 'प्रायोजन' से तात्पर्य बच्चों के जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से उनकी चिकित्सा, पोषण, शिक्षा एवं विकास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनके परिवार को अनुपूरक सहायता या वित्तीय या अन्य माध्यमों से सहायता का प्रावधान है | माता-पिता अथवा उपयुक्त व्यक्ति जिसको प्रायोजन के अंतर्गत बच्चा दिया जा रहा है उनसे बचनबद्धता प्राप्त की जायेगी|

इस प्रायोजन कार्यक्रम के तहत परिवार के अधिकतम 3 बच्चे (बालिका को प्राथमिकता) को वित्तीय सहायता के रूप में 2000/- रुपये प्रतिमाह प्रति बच्चे के दर से दिये जायेंगे | इस राशि का प्रत्येक 3 वर्ष में समीक्षा की जायेगी | एक बच्चे को अधिकतम 3 वर्ष तक लाभान्वित किया जा सकता है परन्तु विशेष परिस्थिति में निदेशक, समेकित बाल संरक्षण योजना की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से समीक्षोपरांत अधिकतम एक अवधि के लिये अनुमोदित किया जायेगा | प्रायोजन की अवधि सामान्य रूप से 3 वर्षों से अधिक नहीं होगी | प्रायोजन के समाप्ति से पूर्व परिवार को बच्चों की देख-रेख करने हेतु आर्थिक एवं अन्य रूप से सशक्त बनाये जाने के प्रयास किये जायेंगे |

प्रत्येक जिले के प्रायोजन अनुमोदन के लिए प्रायोजन एवं पालन पोषण देख-रेख अनुमोदन समिति का गठन जिला बाल संरक्षण अधिकारी की अध्यक्षता में किया जायेगा | समिति द्वारा प्रत्येक माह बैठक का आयोजन कर अनुश्रवण की कार्रवाई की जायेगी |

22/3/18

3. पालन पोषण देख- रेख एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमें एक बच्चे को घर जैसे पारिवारिक माहौल में वैकल्पिक देखभाल के उद्देश्य से बच्चे के निकटतम/अन्य परिवारों के सदस्यों के साथ देखभाल और संरक्षण हेतु रखा जाता है |

यदि किसी मामले में बच्चे की देखभाल करने हेतु कोई संबंधी/अभिभावक उपलब्ध नहीं है या देखभाल करने हेतु इच्छुक नहीं है तो ऐसे बच्चे को ऐसे परिवार के साथ रखा जाता है, जो बच्चे के सांस्कृतिक, जातिगत या समुदाय/ गोत्र से संबंध रखते हों, जिसमें बच्चे के पड़ोसी, माता-पिता के मित्र या समुदाय का अन्य कोई सदस्य जिससे बच्चे के माता पिता परिचित हो, सम्मिलित है | परन्तु ऐसी परिस्थिति में जबकि बच्चों (बालक/ बालिका) का जाति या धर्म स्पष्ट रूप से परिलक्षित नहीं हो तो बाल कल्याण समिति उपलब्ध तथ्यों का विश्लेषण कर यथोचित निर्णय लेंगी |

बच्चों के सर्वोतम हित को प्राथमिकता प्रदान करते हुए ऐसे परिवार जो संलग्न मार्गनिदेशिका में निहित परिस्थिति अथवा वातावरण उपलब्ध कराने में सक्षम हों, उस प्रकार के परिवारों को ही पालन पोषण का उत्तरदायित्व प्रदान किया जायेगा |

पालन पोषण देखरेख उपलब्ध कराने वाले परिवार द्वारा बच्चे को पर्याप्त भोजन, कपडे, आश्रय एवं शिक्षा प्रदान करने सहित बच्चे के समग्र शारीरिक, भावनात्मक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए देखरेख, समर्थन एवं उपचार प्रदान किया जायेगा |

पालन पोषण देखरेख प्रदान करने वाले परिवार में पति- पत्नी दोनों का भारतीय नागरिक होना तथा दोनों की आयु का 35 वर्ष से अधिक होना आवश्यक है | इसके अतिरिक्त दोनों का बच्चे के पालन पोषण देखरेख प्रदान करने के लिए इच्छुक होना भी आवश्यक है |

जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा पालन पोषण देखरेख कार्यक्रम के प्रशासनिक कार्यों एवं बाल संरक्षण सहित सम्बंधित सभी गतिविधियों को सम्पादित किया जायेगा | बाल कल्याण समिति द्वारा बच्चे को दी जाने वाली देखरेख के स्तर की समीक्षा करने के पश्चात पालन पोषण देखरेख में स्थापन के विस्तार आदेश दिये जायेंगे तथा देखरेख असंतोषजनक पाये जाने के मामले में स्थापन की समाप्ति तथा वैकल्पिक पुनर्वास की व्यवस्था का निर्माण किया जायेगा |

उचित अनुमोदन के उपरांत बच्चे की देखरेख हेतु वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध करने की स्थिति में पालन पोषण करने वाले माता पिता को वित्तीय सहायता के रूप में न्यूनतम 2000/- रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा |

4. समेकित बाल संरक्षण योजना (आई सी पी एस) योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में पालन पोषण देखरेख तथा प्रायोजन (स्पोंसरशिप) हेतु 10(दस) लाख रूपए की राशि प्रावधानित है | इस निमित मार्ग निर्देशक नहीं रहने की स्थिति में राशि खर्च नहीं हो पाती है |

यह केन्द्र प्रायोजित योजना है | इसके अनुसार केन्द्रांश तथा राज्यांश की राशि क्रमशः 60: 40 है | झारखण्ड राज्य के 24 जिलों को दिये जाने वाली कुल राशि 2 करोड़ 40 लाख रुपये मात्र है | इसके अंतर्गत केन्द्रांश 1 करोड़ 44 लाख रुपये तथा राज्यांश के रूप में 96 लाख रुपये का व्ययन होगा |

22/3/18

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि अनुलग्नक सहित इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाये तथा महालेखाकार (ले एवं ह) झारखण्ड का कार्या· राँची को प्रेषित किया जाये ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से
22/3/18
(विनय कुमार चौबे)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक:- म०स०/आई सी पी एस (फोस्टर केयर)-42/17 912 दिनांक- 22.03.2018
प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड, हिनू, राँची को सूचनार्थ एवं अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित । अनुरोध है कि इसकी 200 मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को भेजने की कृपा की जाय ।

22/3/18
(विनय कुमार चौबे)
सचिव

ज्ञापांक:- म०स०/आई सी पी एस (फोस्टर केयर)-42/17 912 दिनांक- 22.03.2018
प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, झारखण्ड/ विकास आयुक्त, झारखण्ड/ महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, राजभवन, झारखण्ड, राँची/ महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय/ सभी विभागीय प्रधान सचिव/अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, झारखण्ड, राँची/ निदेशक- सह- सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य बाल संरक्षण संस्था, झारखण्ड, राँची/ सभी सचिव, झारखण्ड/ राज्य निःशक्तता आयुक्त, झारखण्ड/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त, झारखण्ड/ सभी उपायुक्त, झारखण्ड/ सभी जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, झारखण्ड/ माननीय मंत्री, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/ निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद, राँची/ निदेशक, समाज कल्याण, झारखण्ड, राँची/ अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, भारत सरकार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

22/3/18
(विनय कुमार चौबे)
सचिव

झारखण्ड बाल प्रायोजन (स्पोंसरशिप) दिशा–निर्देश, 2018

1 परिचय

इन दिशा–निर्देशों को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 45 के साथ किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 के नियम 24 तथा संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अधिवेशन, 1989 से सशक्त बनाया गया है।

राष्ट्रीय बाल नीति, 2013 यह मानती है कि सभी बच्चों को पारिवारिक माहौल में विकास, खुशी के वातावरण में प्यार और समझ का अधिकार है। परिवार तथा परिवार का माहौल बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिये बहुत अनुकूल है और उन्हें अपने माता–पिता से अलग नहीं होना चाहिए, सिवाय ऐसा उनके हित में आवश्यक हो।

वर्ष 2016 में अपनाई गई बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य–योजना में गैर–संस्थागत देखभाल के महत्व पर जोर दिया गया है। इस कार्य–योजना में प्राथमिकता से बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर उन्हें गोद देने, पालन–पोषण, देखरेख और प्रायोजन को सम्मिलित किया गया है। यह बच्चों को उनके परिवारों में देखभाल और संरक्षण के लिए समुदाय आधारित व्यवस्था को महत्व देती है तथा जागरूकता, नीति निर्माण, अंतर एजेंसी एवं अन्तर्राज्यीय सहयोग के माध्यम से इन व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए लिए कार्य–योजना प्रदान करती है।

प्रायोजन कार्यक्रम विषम परिस्थितियों में कमजोर बच्चों के लिये पारिवारिक देखरेख और संरक्षण पर आधारित कार्यक्रम है। इन दिशा–निर्देशों को प्रत्येक बच्चे के परिवार में बढ़ने का अधिकार के मूलभूत सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया हैं। इसके अंन्तर्गत बच्चे की उम्र और उसके विकास के स्तर के साथ–साथ बालक/ बालिका को प्रभावित करने वाले किसी भी मामले एवं प्रकिया में उनके विचारों के महत्व, उनसे परामर्श लेने के अधिकार सम्मिलित हैं।

2 प्रायोजन की परिभाषा

इन दिशा–निर्देशों के संदर्भ में ''प्रायोजन'' से अभिप्रेत है – बच्चों के जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से उनकी चिकित्सा, पोषण, शिक्षा एवं विकास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बच्चे के परिवार को अनुपूरक सहायता या वित्तीय या अन्य माध्यमों से सहायता के प्रावधान।

यह बच्चे के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने की सशर्त सहायता है।

3. योजना का मुख्य बिन्दु

इस योजना का लक्ष्य प्रायोजन (स्पोंसरशिप) सहायता से बच्चों को उनके जैविक परिवार से अलग होने से रोकना है। इसका उद्देश्य ऐसे बच्चों (संस्था में रहने वाले/मुक्त कराये गये पीड़ित) को प्रायोजन के माध्यम उनके जैविक परिवार में भेजकर पुनर्वासित करने में सहायता करना है।

i. **निवारण (Preventive)** : ऐसे परिवार, जो अभाव या शोषण वाली परिस्थितियों में रह रहे हैं, को बच्चों को अपने परिवार में रखने के लिए सक्षम बनाने में सहयोग करना।

प्रायोजन कार्यक्रम के तहत् ऐसे जैविक या विस्तारित परिवार, जो अभाव या शोषण वाली परिस्थितियों में रह रहे बच्चों को अपने परिवार में रखने के लिए सक्षम बनाने में सहयोग उपलब्ध कराया जायेगा, जिससे कि बच्चा बेसहारा/कमजोर, घर से भागने, मजबूरन बाल विवाह एवं बाल मजदूरी में फंसने से बचाया जा सके।

जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा सामाजिक कार्यकर्ताओं, आउटरीच श्रमिकों, स्वयंसेवकों के साथ–साथ ग्राम बाल संरक्षण समितियों के द्वारा प्रायोजन सहायता प्रदान करने हेतु विषम परिस्थतियों में मौजूद परिवारों या बच्चों की पहचान करेगा। (आई.सी.पी.एस संशोधित दिशा–निर्देश)

ii. **पुनर्वास (Rehabilitative)** : प्रायोजन सहायता के माध्यम से संस्थानों में आवासरत बच्चों को भी परिवारों में प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा। व्यक्तिगत योजना के आधार पर उपयुक्त मामलों में कोई भी संस्थान प्रायोजन निधि के माध्यम से बच्चों के पुनर्वास हेतु बाल कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड से जिला बाल संरक्षण इकाई को सिफारिश करने के लिए आग्रह करेगी। बाल तस्करी या बाल श्रम इत्यादि से मुक्त कराये गये बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश करने अथवा कानून के साथ संघर्षरत बच्चों को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश करने पर बच्चों के पुनर्वास हेतु प्रायोजन सहायता के लिए विचार किया जा सकता है। (आई.सी.पी.एस संशोधित दिशा–निर्देशों के अनुसार)

4, बच्चे/परिवार के चयन हेतु मानदंड :

प्रायोजन के लिए बच्चे/परिवार के चयन के लिए अनिवार्य मानदंड–

- 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे (बालक/बालिका)

- परिवार की कुल वार्षिक आय रू 75,000/– से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। [1]

a. पुनर्वास (Rehabilitative) हेतु प्रायोजन के लिए मानदंड

- ऐसे बच्चे जो बाल देखरेख संस्थानों, पालन–पोषण देखरेख या समूह पालन–पोषण देखरेख में रह रहे हैं, जिन्हें वित्तीय सहयोग से उनके परिवार में प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।
- बाल विवाह, बाल श्रम, बच्चों का अवैध व्यापार या अन्य दुर्व्यवहार से प्रभावित बच्चे।
- ऐसे बच्चे, जिन्हें किसी भी प्रकार की पुनर्वास सहायता की आवश्यकता हैं।

b. निवारक (Preventive) प्रायोजन के लिए मानदंड

- एकल माता–पिता खासकर माता या विधवा के बच्चे
- ऐसे बच्चे, जिनके माता–पिता की मृत्यु हो चुकी है तथा रिश्तेदार की देखरेख में रहते हैं।
- ऐसा बच्चा, जो सम्पूर्ण परिवार की देखरेख कर रहा है।
- माता–पिता द्वारा परित्यक्त ऐसे बच्चे, दादा–दादी या रिश्तेदार की देखरेख में रह रहे हैं।
- ऐसे बच्चे, जिनके माता–पिता कारागृह में हैं।
- ऐसे बच्चे, जिनके माता–पिता असहाय या किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं।
- ऐसे बच्चे, जिनका गैर कानूनी उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया है या किए जा रहे हैं।
- एच.आई.वी./एड्स प्रभावित बच्चे
- बच्चे की अध्यक्षता वाला परिवार

जिन्हें प्राथमिकता दी जायेगी –

- ऐसे बच्चे, जिनके माता–पिता की मृत्यु हो चुकी हैं या माता–पिता द्वारा बच्चा परित्याग किया गया है और रिश्तेदार की देखरेख में रह रहे हैं।
- ऐसे बच्चे, जिनके माता–पिता असहाय हैं या गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जिसमें एच.आई.वी./एड्स भी शामिल है।
- एच.आई.वी./एड्स से प्रभावित बच्चा
- तस्करी से बचने वाले बच्चे।
- एकल माता के बच्चे।

[1] श्रम विभाग के ज्ञापांक – 752, दिनांक 31.03.2017 द्वारा जारी आदेश के अनुसार अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी 6550/– रू0 प्रति माह है। इसलिए वैसे परिवार जिनकी वार्षिक आमदनी झारखण्ड के अकुशल श्रमिक के वार्षिक मजदूरी से भी कम है, आय सीमा 75000/–रू0 रखी गई है, जो समय अनुसार उपर्युक्त के संदर्भ में परिवर्तनशील रहेगा।

5. वित्तीय मानदंड –

इस प्रायोजन कार्यक्रम के तहत् प्रति परिवार के अधिकतम 3 बच्चे (बालिका को प्राथमिकता) को वित्तीय सहायता के रूप में 2,000 रूपये प्रतिमाह प्रति बच्चे के हिसाब से दिये जायेंगे।[2] उक्त राशि का प्रत्येक 3 वर्ष में समीक्षा की जायेगी।[3]

अवधि – इस कार्यक्रम के तहत् एक बच्चे को अधिकतम 3 वर्ष तक लाभान्वित किया जा सकता हैं। अपवादी परिस्थितियों में इसका विस्तार बच्चे के 18 वर्षों तक किये जाने की संभावना है।

6. प्रायोजन की अवधि –

प्रायोजन की अवधि सामान्य रूप से 3 वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रायोजन की समाप्ति से पूर्व परिवार को बच्चों की देखरेख करने हेतु आर्थिक एवं अन्य रूप से सशक्त बनाये जाने के प्रयास किये जायेगें।

7. प्रायोजन के अनुमोदन के लिए समिति –

प्रत्येक जिले में प्रायोजन अनुमोदन के लिए प्रायोजन एवं पालन–पोषण देखरेख अनुमोदन समिति (एसएफसीएसी) का गठन किया जायेगा। इस समिति द्वारा प्रत्येक जिले में कार्यक्रम के कियान्वयन की निरीक्षण की जायेगी। इस समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे।

- जिला बाल संरक्षण अधिकारी – अध्यक्ष
- संरक्षण अधिकारी (गैर–संस्थागत देखरेख) – सदस्य
- अध्यक्ष/सदस्य, बाल कल्याण समिति – सदस्य
- विशेष दत्तक ग्रहण संस्था का प्रतिनिधि – सदस्य
- बाल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाली स्वयंसेवी संस्था का प्रतिनिधि – सदस्य

उक्त समिति द्वारा प्रत्येक माह बैठक आयोजित की जायेगी तथा प्रारम्भ के 90 दिनों के अंदर प्रकरणों का निपटान किया जाना आवश्यक होगा।

8. अनुमोदन की प्रकिया –

प्रायोजन कार्यक्रम का कियान्वयन संबंधित जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा किया जायेगा।

---

[2] स्मेकित बाल संरक्षण योजना (ICPS) के संशोधित मार्गदर्शिका के अध्याय 10 के सेक्शन C (3.3) के अनुसार प्रति माह प्रति बच्चें के लिए प्रायोजन की न्यूनतम राशि 2000/–रू0 दी गई है।

[3] झारखण्ड किशोर न्याय नियम, 2017 के सेक्शन 24 (7) के अनुसार सामान्यत प्रायोजन की अवधि तीन वर्ष से अधिक नही होगी।

8.1 निजी प्रायोजन के लिए अनुमोदन की प्रकिया –

a) जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा ऐसे व्यक्ति या परिवार या संस्थाओं की सूची तैयार की जायेगी, जो बच्चों के प्रायोजन हेतु इच्छुक हैं। (अधिकतम प्रकार के/सेवाएं आदि)

- जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा इस सूची को बाल कल्याण समिति या किशोर बोर्ड या बाल न्यायालय को अग्रेषित की जायेगी। समिति या बोर्ड या बाल न्यायालय द्वारा स्वःप्रसंज्ञान लेते हुए या प्रायोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त प्रार्थना–पत्र के आधार पर बालक/बालिका के प्रायोजन में स्थापन पर विचार–विमर्श किया जायेगा।
- समिति या बोर्ड या बाल न्यायालय द्वारा पैनल में से ऐसे बच्चे के सहयोग/समर्थन हेतु एक प्रायोजक उपलब्धता का सत्यापन किया जायेगा।
- समिति या बोर्ड या बाल न्यायालय द्वारा व्यक्तिगत देखरेख योजना एवं गृह अध्ययन रिपोर्ट की समीक्षा करने के पश्चात बालक/बालिका के प्रायोजन कार्यक्रम के तहत् स्थापन का आदेश प्रपत्र 36 में दिया जायेगा।
- समिति या बोर्ड या बाल न्यायालय द्वारा बच्चे के साथ निरन्तर समन्वय एवं अनुवर्तन हेतु आदेश की प्रति जिला बाल संरक्षण इकाई को मुहैया कराएगी।

b) झारखण्ड स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी द्वारा दानादाताओं (व्यक्तिगत दानदाताओं, संस्थाओं, कॉर्पोरेट सोशियल रिस्पोंसब्लिटी इत्यादि) से प्रायोजन हेतु निधि एकत्रित की जायेगी तथा उक्त राशि को जिले की आवश्यकता के अनुसार जिला बाल संरक्षण इकाई को प्रायोजन एवं पालन पोषण (फोस्टर केयर) मद में आवंटित की जायेगी। यह उसी प्रकिया में प्रशासित किया जाएगा जो बिन्दु सं0 (8.2) में वर्णित है।

c) इस एकत्रित राशि का प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में पंजीकृत चार्टेड अकाउंटटेन्ट/लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा की जायेगी।

8.2 सरकार द्वारा अनुदानित प्रायोजन के लिए अनुमोदन की प्रकिया –

8.2.1 प्रायोजन के लिए बच्चों की पहचान एवं अनुशंसा :

8.2.1.1 बाल देखरेख संस्थान/संस्थागत देखरेख में आवासरत बच्चों के प्रायोजन के लिए पहचान एवं अनुशंसा :

i) व्यक्तिगत देखरेख योजना तैयार करना–

- संस्थागत देखरेख में आवासरत प्रत्येक बालक/बालिका का प्रवेश के 1 माह के अन्दर व्यक्तिगत देखरेख योजना (अनुलग्नक–क) तैयार की जायेगी।
- उक्त व्यक्तिगत देखरेख योजना बच्चे के घर का दौरा एवं बच्चे एवं माता –पिता/अभिभावक के विस्तृत साक्षात्कार के आधार पर तैयार की जायेगी।
- उक्त व्यक्तिगत देखरेख योजना में बच्चे की आवश्यकता एवं जैविक परिवार के सामने आने वाली कठिनाइयों को शामिल किया जायेगा, जिसने उन्हें बच्चों को संस्थानों में स्थानान्तरित करने के लिए प्रेरित किया।
- उक्त योजना में बच्चे के परिवार की वर्तमान स्थिति, सुझावों के प्रति उनकी प्रतिकिया को ध्यान में रखते हुए, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु विचार किया जायेगा। यदि वे उनके बच्चे को अपने साथ वापस रखने के लिए तैयार हैं, तो उन्हें बच्चे की शिक्षा जारी रखने के लिए प्रेरित किया जायेगा।

ii) बाल देखरेख संस्थान में आवासरत बच्चों के प्रायोजन के लिए चयन –

- व्यक्तिगत देखरेख योजना के आधार पर विधि से संघर्षरत बच्चों के मामलों में बाल देखरेख संस्थान के परिवीक्षा अधिकारी तथा देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के मामलों में बाल कल्याण अधिकारी द्वारा ऐसे बालक/बालिकाओं को चिन्हित किया जायेगा, जो प्रायोजन कार्यक्रम के तहत् उनके परिवारों में देखरेख प्राप्त कर सकते हैं।

- बच्चों की देखरेख करने के लिए परिवारों की क्षमता के आकंलन के आधार पर बच्चों के बाल देखरेख संस्थान में प्रवेश के एक माह के भीतर बाल देखरेख संस्थान के परीवीक्षा अधिकारी द्वारा विशिष्ट मामलों में प्रायोजन सहायता के तहत् परिवार में देखरेख प्रदान करने हेतु सिफारिश की जा सकती हैं।

iii) जिला बाल संरक्षण इकाई को आंकड़ों का हस्तांतरण –

- बाल देखरेख संस्थान द्वारा व्यक्तिगत बाल देखरेख योजनाओं के साथ संस्थान में आवासरत सभी बच्चों से संबंधित आंकड़े जिला बाल संरक्षण इकाई को प्रेषित किये जायेगें।
- उक्त आकड़ों में लिंग, आयु, शैक्षणिक स्थिति एवं बच्चे का शैक्षिक प्रदर्शन, बच्चे के स्वास्थ्य की स्थिति, अगर बच्चे में कोई निःशक्ता है या माता–पिता दोनों में से एक जीवित है और माता–पिता की सामाजिक आर्थिक स्थिति को जिला बाल संरक्षण इकाई के संरक्षण अधिकारी (संस्थागत देखरेख) को प्रेषित की जायेगा।

- बाल देखरेख संस्थान द्वारा प्रत्येक माह ऐसे आंकड़ो को अद्यतन किया जायेगा।

iv) ऐसे बच्चों की सूची तैयार करना, जो प्रायोजन से लाभान्वित होंगे–

- जिला बाल संरक्षण इकाई के संरक्षण अधिकारी (संस्थागत देखरेख) बाल देखरेख संस्थानों से प्राप्त सभी बच्चों की अनुशंसाओं एवं आंकडों का अध्ययन करेगा तथा उन सभी बच्चों की सूची तैयार करेगा, जिन्हें स्वयं एवं उनके परिवार की स्थिति से पता चलता है कि बच्चे को वित्तीय सहायता प्रदान करने से परिवार में प्रत्यावर्तन का लाभ होगा।
- इकाई के संरक्षण अधिकारी (संस्थागत देखरेख) द्वारा ऐसे बच्चों को भी सम्मिलित किया जा सकता हैं, जिन्हें बाल देखरेख संस्थान द्वारा अनुशंसित नहीं किया गया है, लेकिन ऐसे बच्चे इस कार्यक्रम के योग्य हैं। इस प्रक्रिया को अधिकतम 15 दिनों में पूर्ण किया जायेगा।

v) बाल देखरेख संस्थान द्वारा गृह अध्ययन रिपोर्ट –

- बाल कल्याण अधिकारी/परिवीक्षा अधिकारी द्वारा बच्चे के घर के निरीक्षण के पश्चात संरक्षण अधिकारी (संस्थागत देखरेख) द्वारा संबंधित बाल देखरेख संस्थान को विहित प्रपत्र (अनुलग्नक ख) में गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने हेतु निर्देशित किया जायेगा।
- यह गृह अध्ययन कार्य संरक्षण अधिकारी (संस्थागत देखरेख) के अनुरोध करने के एक माह के भीतर पूर्ण किया जायेगा।
- ऐसे बच्चे, जिनका परिवार किसी अन्य जिले में आवासरत है, ऐसे मामलों में संरक्षण अधिकारी (संस्थागत देखरेख) द्वारा संबंधित जिले की जिला बाल संरक्षण इकाई को उपयुक्त एजेंसी के माध्यम से गृह अध्ययन कराने हेतु अनुरोध किया जायेगा।

vi) संरक्षण अधिकारी (गैर–संस्थागत देखरेख) को अनुशंसा–

गृह अध्ययन रिपोर्ट प्राप्त होने बाद संरक्षण अधिकारी (संस्थागत देखरेख) द्वारा उपयुक्त मामलों में तुरत आगे की प्रक्रिया हेतु संरक्षण अधिकारी (गैर–संस्थागत देखरेख) को अनुशंसा की जायेगी।

vii) अगर कोई बच्चा किसी अन्य जिले का निवासी है, तो संरक्षण अधिकारी (गैर–संस्थागत देखरेख) को अनुवर्तन (फॉलोअप) एवं जिले में बच्चे के परिवार से संपर्क करने के लिए संबंधित जिले की जिला बाल संरक्षण इकाई की आवश्यकता

होगी, ऐसी स्थिति में गृह अध्ययन एवं अन्य औपचारिकता पूर्ण होने के पश्चात बच्चे को संबंधित जिले की बाल कल्याण समिति को स्थानान्तरित करने की आवश्यकता होगी।

viii) दस्तावेजों की संवीक्षा/जांच – संरक्षण अधिकारी (गैर–संस्थागत देखरेख) द्वारा संरक्षण अधिकारी (संस्थागत देखरेख) द्वारा परिवार में प्रत्यावर्तन/स्थापन हेतु अनुशंसित पात्र बच्चों से संबंधित दस्तावेजों की संवीक्षा/जांच की जायेगी। प्रायोजन हेतु अनुशंसित मामलों को प्रायोजन एवं पालन–पोषण देखरेख अनुमोदन समिति द्वारा मासिक बैठक में अनुमोदित किए जायेगें। अनुशंसा के निर्धारण हेतु अपेक्षित दस्तावेजों में निम्न को सम्मिलित किया जायेगा।

- बाल कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड के पिछले आदेश
- बच्चे की व्यक्तिगत देखरेख योजना
- गृह अध्ययन रिपोर्ट

8.2.1.2 **पुनर्वास हेतु प्रायोजन के लिए बच्चे का चयन एवं अनुशंसा –**

i) व्यक्तिगत देखरेख योजना को तैयार करना –

संबंधित जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा पुनर्वास की आवश्यकता वाले प्रत्येक देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे एवं विधि से संघर्षरत बच्चे बाल देखरेख संस्थान में प्रवेश लेने के एक माह के भीतर व्यक्तिगत देखरेख योजना (प्रारूप–क) तैयार की जायेगी। उक्त देखरेख योजना बच्चे के घर का दौरा एवं बच्चे एवं माता–पिता/अभिभावक के विस्तृत साक्षात्कार के आधार पर तैयार की जायेगी। उक्त देखरेख योजना में बच्चे की आवश्यकता एवं जैविक परिवार के सामने आने वाली कठिनाइयों को शामिल किया जायेगा, जिसने बच्चे की विषम परिस्थितियों को बढ़ाया। उक्त योजना में बच्चे की परिवार की वर्तमान स्थिति, सुझावों के प्रति उनकी प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु विचार किया जायेगा। यदि वे उनके बच्चे को अपने साथ वापस रखने के लिए तैयार हैं, तो उन्हें बच्चे की शिक्षा जारी रखने के लिए प्रेरित किया जायेगा।

ii) संरक्षण अधिकारी (गैर–संस्थागत देखरेख) को अनुशंसा –

बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड द्वारा उन्हीं बच्चों की सूची संरक्षण अधिकारी (गैर–संस्थागत देखरेख) को अगली प्रकिया हेतु अनुशंसा की जा सकेगी, जिन्हें व्यक्तिगत देखरेख योजना के आधार पर प्रायोजन कार्यक्रम हेतु अनुशंसित किया गया हैं।

अनुशंसित योग्य बच्चों से संबंधित दस्तावेजों की संवीक्षा/जांच की जायेगी। प्रायोजन हेतु अनुशंसित मामलों को प्रायोजन एवं पालन–पोषण देखरेख अनुमोदन समिति द्वारा मासिक बैठक में अनुमोदित किए जायेगें। अनुशंसा के निर्धारण हेतु अपेक्षित दस्तावेजों में निम्न को सम्मिलित किया जायेगा।

- बाल कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड के पिछले आदेश
- बच्चे की व्यक्तिगत देखरेख योजना
- गृह अध्ययन रिपोर्ट

8.2.2 प्रायोजन का अनुमोदन –

अनुमोदन की प्रक्रिया दो चरणों में की जायेगी।

- प्रथम, प्रायोजन एवं पालन–पोषण देखरेख अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
- तदोपरान्त बाल कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड द्वारा अन्तिम आदेश दिया जाएगा।

8.2.2.1 प्रायोजन एवं पालन–पोषण देखरेख अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदन की प्रकिया–

प्रायोजन एवं पालन–पोषण देखरेख अनुमोदन समिति द्वारा प्रत्येक अनुशंसा की समीक्षा की जायेगी तथा परिवार आधारित प्रायोजन सहायता के योग्य बच्चों के सभी मामलों का कोष (फण्ड) की उपलब्धता के आधार पर अनुमोदन किया जायेगा।

प्रायोजन की अवधि विषयानुसार परिवार की परिस्थितियों एवं बच्चों की उम्र के आधार पर प्रायोजन एवं पालन–पोषण देखरेख अनुमोदन समिति द्वारा निर्धारित की जायेगी। यह अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी। असाधारण मामलों में प्रायोजन एवं पालन–पोषण देखरेख अनुमोदन समिति द्वारा तीन वर्ष से अधिक अवधि का विस्तार करने पर निर्णय लिया जा सकता है, यदि समीक्षा के दौरान यह पाया जाता है कि बच्चा परिवार में अच्छे से रह रहा है, और बच्चे की भलाई के लिए निरंतर सहायता की आवश्यकता है।

8.2.2.2 बाल कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड का अंतिम आदेश –

i) किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति बच्चे की व्यक्तिगत देखरेख योजना, संरक्षण अधिकारी (गैर–संस्थागत देखरेख) द्वारा प्रस्तुत परिवार की गृह अध्ययन रिपोर्ट एवं प्रायोजन एवं पालन–पोषण देखरेख अनुमोदन समिति के अनुमोदनों की जांच करेगी तथा प्रायोजन सहायता के लिए बच्चे/परिवार की उपयुक्तता के लिए स्वयं को संतुष्ट करेगी। बाल कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड द्वारा प्रायोजन कार्यक्रम के तहत् स्थानान्तरित आदेश पारित करने से पूर्व बच्चे का विद्यालय में प्रवेश होना सुनिश्चित किया जायेगा।

ii) ऐसे मामले जिनमें बच्चा समझने में सक्षम हो, बाल कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड द्वारा ऐसे बच्चे का साक्षात्कार कर स्थापन के संबंध में उसकी सहमति प्राप्त की जायेगी।

iii) बाल कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड द्वारा अंतिम आदेश पारित करने से पूर्व प्रायोजन सहायता हेतु कोष में आवश्यक धनराशि/प्रायोजक की उपलब्धता की पुष्टि की जायेगी। यदि पर्याप्त कोष या प्रायोजक उपलब्ध नहीं है तो झारखण्ड स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी/परियोजना निदेशक, आईसीपीएस से प्रायोजन के लिए कोष प्रदान करने के लिए अनुरोध कर सकती हैं।

iv) किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति द्वारा प्रायोजन के माध्यम से बच्चे को सहायता प्रदान करने के लिए झारखण्ड किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2017 के प्रपत्र 36 में आदेश पारित किया जायेगा। उक्त आदेश की एक प्रति जिला बाल संरक्षण इकाई को उचित कार्रवाई हेतु प्रेषित करते हुए प्रति सूचनार्थ झारखण्ड स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी/परियोजना निदेशक, आईसीपीएस को प्रेषित की जायेगी।

9. **प्रायोजन सहायता आरम्भ करना (और विस्थापनात्मक बच्चों का परिवार में स्थानन के मामले) –**

i) जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा प्रायोजन सहायता के लिए अनुमोदित बच्चों की सूची निगरानी एवं अनुवर्तन हेतु संबंधित ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समितियों/प्रखण्ड स्तरीय बाल संरक्षण समितियों को सूचनार्थ प्रेषित की जायेगी।

ii) प्रायोजन के लिए बच्चे एवं परिवार को तैयार करना –

- जहां परिवार निवासरत है, उस जिले की जिला बाल संरक्षण इकाई के संरक्षण अधिकारी (गैर–संस्थागत देखरेख)/सामाजिक कार्यकर्ता/

आउटरीच कार्यकर्त्ता द्वारा परिवार एवं बच्चे को प्रदान की जाने वाली सहायता के बारे में मार्गदर्शन दिया जायेगा तथा प्रायोजन कार्यक्रम अन्तर्गत उन्हें जिम्मेदारियों को पूर्ण करना आवश्यक होगा।

- बच्चे के जैविक माता–पिता को समझाने की आवश्यकता होगी कि वे बच्चों को आश्रय, पोषण, चिकित्सा, संरक्षण एवं शिक्षा की आवश्यकता के साथ भावनात्मक देखरेख एवं पोषण के लिए जिम्मेदार हैं।
- बच्चे के जैविक माता–पिता/अभिभावक के लिए अनिवार्य है कि अगर उनका बच्चा 3–6 वर्ष का है, तो नियमित आंगनबाड़ी केन्द्र तथा 6 वर्ष से अधिक उम्र का है, तो विद्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
- उन्हें सूचित करने की आवश्यकता होगी, कि उन्हें इस उद्देश्य के लिए रू. 2000/– प्रति बच्चा प्रति माह अनुदान मिलेगा।
- यह एक सशर्त नकद राशि हस्तांतरण की प्रकिया है, इस प्रयोजन से बच्चे की प्रगति की समीक्षा की जायेगी।
- बच्चे को अपने परिवार में पुनः एकीकरण से पहले, बच्चे एवं परिवार को सलाह दी जाएगी, ताकि बच्चा एवं परिवार नई स्थिति के लिए अनुकूल हो सके।

iii) प्रायोजन सहायता आरम्भ करने की प्रकिया (और विस्थापनात्मक बच्चों का परिवार में स्थानन के मामले) –

- जिला बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा बच्चे के नाम का एक डाकघर खाता/बैंक बचत खाता खोला जायेगा, जो कि बच्चे के अभिभावक (जहाँ अच्छा हो कि माता) द्वारा संचालित किया जायेगा।
- प्रत्येक त्रैमासिक के प्रारम्भ में सहायता राशि सीधे ही जिला बाल संरक्षण इकाई के खाते से बच्चे के डाकघर खाता/बैंक बचत खाते में स्थानान्तरित की जायेगी।
- जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा बाल देखरेख संस्थान के माध्यम से बच्चे को संस्थान से परिवार के निवास तक मार्गरक्षण उपलब्ध कराया जायेगा।
- जिला बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से परिवार के नजदीकी विद्यालय में बच्चे के नामांकन में परिवार की सहायता की जायेगी। जिला बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के नियमों के तहत बच्चे को युनिफॉर्म, किताबें इत्यादि सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा प्रायोजन के प्रारंभ में माता–पिता की भूमिका सुनिश्चित करने हेतु माता–पिता से एक बंधपत्र पर हस्ताक्षर कराये जायेगें।

10. अन्य विभागों के साथ सामंजस्य–

अन्य विभागों के साथ सामंजस्य के माध्यम से परिवार को सुदृढ़ कर बच्चों की देखभाल करने के लिए परिवार की क्षमता को मजबूत किया जा सकता है ताकि अन्त में प्रायोजन सहायता पर निर्भरता कम हो सके। सामंजस्य के माध्यम से जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा ग्रामीण विकास एजेंसी, पंचायती राज एजेंसी, आदिवासी विकास एजेंसी इत्यादि सहित अन्य संस्थाओं के साथ संबंध स्थापित किये जायेगें, ताकि बच्चे एवं परिवारों को उनके लाभ प्राप्त हो सके, जिनके वो हकदार है। इस प्रकार के प्रयासों में इन्दिरा आवास योजना के माध्यम से मकान, नरेगा के माध्यम से रोजगार एवं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं की सहायता तथा ऋण प्राप्ति में सहायता करना इत्यादि सम्मिलित है।

10.1 न्यायपालिका की भूमिका –

- प्रायोजन कार्यक्रम की प्रचार–प्रसार एवं जागरूकता फैलाने तथा समुदाय स्तर पर कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए पैरा लिगल स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करना।
- उच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति द्वारा प्रायोजन कार्यक्रम के कियान्वयन की निगरानी की जा सकती हैं।

10.2 शिक्षा विभाग की भूमिका–

- दत्तक/पालन–पोषण सेवा/प्रायोजन सेवा से जुड़े बच्चे के आस–पास के कलंक को कम करने के लिए उन्हें सक्रिय रूप से शैक्षिक गतिविधियों में व्यस्त रखना।
- प्रायोजन कार्यक्रम से जुड़े बच्चों पर निगरानी रखने के लिए सामुदायिक स्तर के तंत्र को शामिल करना। यदि बच्चे विद्यालय में नामांकित हैं, लेकिन विद्यालय नहीं जा रहे हैं या छोड़ चुके हैं, तो ऐसा करना प्रायोजन की शर्तों का उल्लंघन करना है। इस हेतु विद्यालय प्रबंधन समिति एवं ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समिति के मध्य समन्वय स्थापित करना।
- प्रायोजन कार्यक्रम के तहत् बच्चे की सरकारी विद्यालय में उपस्थिती संबंधी रिपोर्ट मासिक आधार पर जिला बाल संरक्षण इकाई को प्रेषित करना।

10.3 चिकित्सा विभाग की भूमिका–

- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर.बी.एस.के.) की सेवाओं का विस्तार प्रायोजन कार्यक्रम के तहत् लाभान्वित बच्चों को निःशुल्क एवं समय पर उपचार प्रदान करना।
- ए.एन.एम. द्वारा प्रायोजन कार्यक्रम के तहत् लाभान्वित बच्चों की नियमित पोषण जांच करना तथा जांच प्रतिवेदन के अनुसार आवश्यक प्रबंध करने हेतु प्रतिवेदन जिला बाल संरक्षण समिति के साथ साझा करना।

10.4 गैर सरकारी संस्थाओं की भूमिका –

उपायुक्त द्वारा प्रायोजन कार्यक्रम को अतिरिक्त सहायता प्रदान करने वाली गैर सरकारी संस्थाओं को सूचीबद्ध किया जायेगा। जिला बाल संरक्षण इकाई/ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण इकाई को निम्नानुसार सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है–

- योग्य बच्चों का चयन करना।
- व्यक्तिगत देखरेख योजना, बाल अध्ययन प्रतिवेदन एवं गृह अध्ययन प्रतिवेदन तैयार करना।
- बच्चे, माता–पिता एवं विस्तारित परिवार को आवश्यकतानुसार परामर्श उपलब्ध कराना।
- सूचना, शिक्षा एवं संचार सामग्री तैयार करना।
- प्रायोजन कार्यक्रम की जागरूकता फैलाना तथा हिमायत (पक्षपोषण) करना।
- प्रायोजन के तहत् लाभान्वित बच्चे आवधिक/निरन्तर जांच एवं अनुवर्तन (फॉलोअप) हेतु दौरे (विजिट) करना।

11. परामर्श एवं मार्गदर्शन–

प्रायोजन सहायता प्रारम्भ होने पर जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा बच्चे के समग्र विकास, सुरक्षा एवं परिवारों का क्षमतावर्धन के साथ उन्हें दीर्घकालीन सशक्त बनाने के लिए परिवारों एवं उनके समूहों के साथ कार्य कर उन्हें सहयोगी सेवाएं जैसे परामर्श और मार्गदर्शन कार्यक्रम उपलब्ध कराये जायेगें।

12. माता–पिता/अभिभावक की भूमिका–

माता–पिता/अभिभावक होंगे–

- बंधपत्र पर हस्ताक्षर करना कि वे बच्चे की देखरेख संबंधी सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखेंगे (अनुलग्नक सी)
- बालक/बालिका का आंगनबाड़ी/विद्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करना (75 प्रतिशत उपस्थिति)

- बच्चे को उम्र के अनुसार पोषण मिलना सुनिश्चित करना
- समय पर उचित स्वास्थ्य देखरेख (टीकाकरण/प्रतिरक्षण सहित) प्रदान करना
- बच्चों को लाभकारी/खतरनाक रोजगार में नहीं लगाना सुनिश्चित करना।
- बच्चे का परिवार के साथ रहना सुनिश्चित करना।
- बच्चे का परिवार में हिंसा एवं दुर्व्यवहार से सुरक्षा सुनिश्चित करना।

13. निगरानी एवं समीक्षा –

i) संरक्षण अधिकारी (गैर–संस्थागत देखरेख) द्वारा प्रायोजन के तहत् लाभ लेने वाले प्रत्येक बच्चे की एक व्यक्तिगत केस फाइल संधारित की जायेगी तथा बच्चे एवं उसके माता–पिता के साथ वार्तालाप करने के पश्चात एक स्पष्ट देखरेख योजना तैयार की जायेगी।

ii) संरक्षण अधिकारी (गैर–संस्थागत देखरेख) द्वारा कम से कम त्रैमासिक स्तर पर बच्चे के घर, विद्यालय एवं आंगनबाड़ी का दौरा (विजिट) कर उपस्थिति प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जायेगा तथा उक्त सभी का रिकॉर्ड संधारित किया जायेगा। बच्चे के घर के दौरे (विजिट) के दौरान बच्चे के कल्याण (बालक/बालिका के स्वास्थ्य एवं सामान्य पारिवारिक वातावरण सहित) के साथ–साथ बच्चे की विद्यालय में प्रगाति को भी देखा जायेगा।

iii) जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा शिक्षा विभाग एवं समेकित बाल विकास सेवाएं द्वारा प्रायोजन के अन्तर्गत लाभान्वित प्रत्येक बच्चे की उपस्थिति रिपोर्ट मासिक स्तर पर इकाई को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

iv) जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा माता–पिता को स्वयं एवं बच्चे का 'आधार नम्बर' प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।

v) बच्चे अच्छी देखरेख प्राप्त कर रहे हैं तथा व्यवस्थित हैं, इसके निर्धारण हेतु बाल कल्याण समिति द्वारा वार्षिक समीक्षा की जायेगी। इस समीक्षा के आधार पर प्रायोजन सहायता को निरन्तर जारी रखने के लिए अनुमोदन किया जायेगा।

vi) यदि जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा अन्य विभागों के साथ सामंजस्य के माध्यम से बच्चे के परिवार को मजबूत करने के लिए पर्याप्त प्रयास किये गये हैं, तो जिला स्तरीय बाल संरक्षण समिति द्वारा इसकी समीक्षा की जाएगी।

vii) असाधारण परिस्थितियों में यदि अवधि तीन वर्ष/समेकित बाल संरक्षण योजना में निर्धारित अवधि से अधिक अवधि के लिए प्रायोजन की आवश्यकता है, तो स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी द्वारा बच्चा अच्छे से प्रगति कर रहा है तथा यह सभी प्रयास परिवार को मजबूत करने के लिए किए गए हैं, को सुनिश्चित करने के लिए समीक्षा की जायेगी।

16

viii) जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा प्रायोजन से संबंधित बच्चों की जानकारी को मासिक स्तर पर चाइल्ड प्रोटेक्शन प्रबंधन सूचना प्रणाली (सी.पी.एम.आई.एस) में अद्यतन किया जायेगा।

ix) जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा रखे जाने वाले अभिलेख इकाई के संरक्षण अधिकारी (गैर–संस्थागत देखरेख) को निम्न अभिलेख संधारित किये जायेगें–

i) प्रवेश पंजी – प्रायोजन सहायता के लिए निर्दिष्ट बच्चों का विवरण संधारित करने हेतु।

ii) मास्टर पंजी, जो पूर्ण प्रकिया का एक संगंठित रूप प्रदान करेगा, जिनमें निम्न सम्मिलित है–

- स्थापन की दिनांक
- बच्चे का लिंग
- स्थापन के समय बच्चे की उम्र
- पारिवारिक स्थिति
- बच्चे की शैक्षणिक स्थिति
- बाल कल्याण समिति के आदेश के अनुसार स्थापन की अवधि
- बच्चे के स्वास्थ्य की स्थिति
- बच्चे की शैक्षिक प्रगति
- परिवार में प्रायोजित बच्चों की संख्या
- स्थापन की समाप्ति के कारण और दिनांक
- बच्चे का वर्तमान स्थान एवं वैकल्पिक स्थापन
- परिवार को प्रायोजन अनुदान वितरण की पंजी
- प्रायोजन एवं पालन–पोषण अनुमोदन समिति एवं जिला बाल संरक्षण समिति की बैठक प्रतिवेदन

iii) प्रायोजन सेवा के आधार पर परिवार में नियुक्त किये प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत फाइल, जिसमें निम्न दस्तावेज होंगे–

- परामर्श के स्त्रोत
- जैविक परिवार एवं बच्चे की गृह अध्ययन प्रतिवेदन
- स्थापन के समय देखरेख योजना परिकल्पित करना
- बाल कल्याण समिति / किशोर न्याय बोर्ड का स्थापन आदेश
- प्रायोजित बच्चे एवं उसके परिवार, बच्चों के विद्यालय के दौरे की संख्या तथा प्रत्येक दौरे का महत्वपूर्ण विवरण
- प्रत्येक समीक्षा के समय स्थापन की सीमा एवं गुणवत्ता के साथ देखरेख योजनाओं की अनुपालना, बच्चे के विकास का स्तर, बच्चे

का स्वास्थ्य, बच्चे की विद्यालय में प्रगति एवं पारिवारिक वातावरण में परिवर्तन का अवलोकन

- प्रायोजन की समाप्ति पर प्रायोजन की समाप्ति की दिनांक एवं कारण

iv) प्रायोजन एवं पालन–पोषण अनुमोदन समिति को त्रैमासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना–

जिला बाल संरक्षण इकाई के संरक्षण अधिकारी (गैर–संस्थागत देखरेख) द्वारा समीक्षा हेतु प्रत्येक तीन माह में प्रत्येक बच्चा की त्रैमासिक प्रतिवेदन प्रायोजन एवं पालन–पोषण देखरेख अनुमोदन समिति को प्रस्तुत किया जाएगा। असाधारण परिस्थितियों में, जहाँ बच्चों के विकास की स्थिति बेहद असंतोषजनक है, तो संरक्षण अधिकारी (गैर–संस्थागत देखरेख) द्वारा विशेष रूप से प्रायोजन एवं पालन–पोषण देखरेख अनुमोदन समिति के ध्यान में लाया जायेगा।

v) प्रायोजन से संबंधित बच्चों की जानकारी को मासिक स्तर पर चाइल्ड प्रोटेक्शन प्रबंधन सूचना प्रणाली (सी.पी.एम.आई.एस) में अद्यतन करना।

vi) जिला बाल संरक्षण समिति एवं स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी के समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश करना–

जिला बाल संरक्षण इकाई के परिवीक्षा अधिकारी द्वारा एक समेकित वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा। जिसके लिए बच्चों की प्रगति एवं परिवार द्वारा बच्चों की शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए किये गये प्रयासों की समीक्षा के लिए जिला बाल संरक्षण समिति एवं स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

14. प्रायोजन की समाप्ति : प्रायोजन एवं पालन–पोषण देखरेख अनुमोदन समिति द्वारा निम्न परिस्थितियों के अनुसार परिवार की प्रायोजन सेवा समाप्त की जा सकती है–

- जब बच्चे की उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो गयी हो।
- जब परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हो गयी हो एवं बच्चे/बच्चों की शैक्षिक या अन्य आवश्यकताओं के लिए इस सेवा की आवश्यकता नहीं है।
- बच्चे ने विद्यालय और/या आंगनबाड़ी (जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा सत्यापित विकलांगता की विशेष अवस्था एवं बीमारी को छोड़कर) जाना बंद कर दिया हो। विद्यालय में लगभग 75 प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक है।
- बच्चे के एक बार पुनः किसी संस्थान में स्थापन किये जाने की स्थिति में।
- बच्चों को चिकित्सीय समस्या है तथा माता–पिता आवश्यक देखरेख प्रदान करने में असमर्थ हो।

- बच्चे एवं परिवार कम से कम तीन महीने एक–दूसरे के साथ रहने के बाद भी समायोजन करने में असमर्थ हो।
- बच्चा बिना अनुमति के दस दिनों से अधिक समय से परिवार के साथ नहीं रह रहा हो।
- बाल विवाह करने की स्थिति में।
- बच्चे के लाभदायी/खतरनाक कार्य में रोजगार करने की स्थिति में।
- परिवार में बच्चों पर हिंसा/दुर्व्यवहार होने की स्थिति में

15. प्रायोजन की समाप्ति की प्रकिया –

- जिला बाल संरक्षण इकाई के संरक्षण अधिकारी (गैर–संस्थागत देखरेख) द्वारा प्रायोजन एवं पालन–पोषण देखरेख अनुमोदन समिति के समक्ष बच्चें एवं परिवार की वर्तमान स्थिति एवं प्रायोजन सेवाएं समाप्त करने के संभावित कारण प्रस्तुत किये जायेगें तथा एवं बच्चे की ओर से आगे की कार्रवाई हेतु राय प्राप्त की जायेगी।
- प्रायोजन एवं पालन–पोषण देखरेख अनुमोदन समिति द्वारा मामले की समीक्षा की जायेगी तथा आवश्यकतानुसार बाल कल्याण समिति से प्रायोजन की समाप्ति की अनुशंसा की जायेगी।
- प्रायोजन एवं पालन–पोषण देखरेख अनुमोदन समिति आवश्यतानुसार बच्चे के लिए वैकल्पिक देखरेख एवं पुनर्वास के उपाय की अनुशंसा कर सकती हैं, इसमें रिश्तेदार या परिवार के घनिष्ठ मित्र, पालन–पोषण देखरेख, एक छोटे समूह का घर या संस्थान के साथ वैकल्पिक स्थापन भी सम्मिलित है। ऐसे मामले में संरक्षण अधिकारी (गैर–संस्थागत देखरेख) बच्चे की उपयुक्त स्थापन के लिए बाल कल्याण समिति को प्रायोजन की समाप्ति के लिए प्रस्ताव देगा।

16. प्रायोजन एवं पालन–पोषण कोष का प्रबंधन –

समेकित बाल संरक्षण योजना के सहयोग से प्रायोजन एवं पालन–पोषण कोष (फंड) का निर्माण किया जायेगा, जिसे जिला बाल संरक्षण इकाई के नियंत्रण में रखा जायेगा। स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी द्वारा उक्त कोष (फंड) के उपयोग की समीक्षा की जायेगी तथा जिला बाल संरक्षण इकाई को इसके प्रभावी उपयोग के लिए सख्त निर्देश जारी किये जायेगें। राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन द्वारा अतिरिक्त अनुदान एवं दान से इस कोष में वृद्धि की जा सकती हैं।

प्रायोजन राशि जिला बाल संरक्षण इकाई के बैंक खाते से सीधे ही बच्चे के डाकघर खाते/बैंक बचत खाते में स्थानान्तरित होगी।

17. दिशा–निर्देशों का संशोधन –

राज्य सरकार द्वारा आवश्यतानुसार समय–समय पर अधिसूचना/परिपत्रों के माध्यम से इन दिशा–निर्देशों में संशोधन/अपेक्षित सुधार किया जा सकता हैं।

प्रारूप 36

{नियम 24(5)}

प्रायोजन के स्थापन का आदेश

श्री ..... तथा/अथवा श्रीमती ..... का/की पुत्र अथवा पुत्री ..... को शिक्षा/स्वास्थ्य/पोषण/अन्य विकासात्मक जरूरतों ..... (कृपया विनिर्दिष्ट करें) हेतु प्रायोजक सहायता की जरूरत वाले बालक के रूप में अभिनिर्धारित किया गया है। जिला बालक संरक्षण इकाई को एतद्वारा उक्त बालक को ..... (दिवस/मास) की अवधि के लिए एक बार की प्रायोजक सहायता के रूप में ..... रुपये प्रति मास/..... रुपये निर्मुक्त करने और आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए और उक्त प्रयोजन के लिए बालक/बालिका के नाम ..... पर एक बैंक खाता खोलने जिसका संचालन ..... द्वारा किया जाएगा, का निर्देश दिया जाता है।

बाल न्यायालय/प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड
अध्यक्ष/सदस्य, बाल कल्याण समिति

91

प्रारूप–7

[नियम 11(3), 13(7); (iv), 13(8)(ii), 19(4), 19(17), 62(6)(vii), 62(6)(x),691(3)]

(वैयक्तिक देखरेख योजना (वै.दे.यो.)

कानून का उल्लंघन करने वाला बालक / देखरेख तथा संरक्षण की आवश्यकता रखने वाला बालक

(जो लागू हो पर निशान लगाएं)

मामला कार्यकर्ता / बाल कल्याण अधिकारी / परिवीक्षा अधिकारी का नाम .....

वै.दे.यो. तैयार करने की तारीख .....

20..... का मामला / प्रोफाइल संख्या .....

प्र.सू.रि. संख्या .....

धारा के अंतर्गत (अपराध का प्रकार), कानून का उल्लंघन करने वाले बालकों के मामलों में लागू .....

पुलिस स्टेशन का नाम .....

बोर्ड अथवा समिति का पता.....

प्रवेश संख्या (यदि बाल संस्थान में है) .....

प्रवेश की तारीख (यदि बाल संस्थान में है) .....

बालक का ठहरना (प्रवास) (जैसा लागू हो)

1. अल्पकालिक (6 मास तक)
2. मध्यम कालिक (6 मास से एक वर्ष)
3. दीर्घकालिक (1 वर्ष से अधिक)

क. व्यक्तिगत ब्यौरा (संस्थान में बालक / बालिका की भर्ती पर बच्चा / माता–पिता / दोनों द्वारा उपलब्ध कराया जाए)

1. बालक का नाम .....
2. आयु / जन्म की तारीख .....
3. आधार कार्ड संख्या .....
4. लिंग : बालक / बालिका .....
5. पिता का नाम .....
6. माता का नाम .....
7. राष्ट्रीयता .....
8. धर्म .....
9. जाति .....
10. बोली जाने वाली भाषा .....
11. शिक्षा का स्तर .....
12. बालक के बचत खाते का ब्यौरा, यदि कोई हो .....
13. बालक की आय तथा समान (संम्पत्ति) का ब्यौरा, यदि कोई हो .....
14. बालक द्वारा प्राप्त किए गए पुरस्कारों / इनामों का ब्यौरा, यदि कोई हो .....

15. व्यक्ति वृत, सामाजिक जांच प्रतिवेदन तथा बालक के साथ बातचीत के परिणाम के आधार पर निम्नलिखित संबंधित क्षेत्रों तथा हस्तक्षेपों का ब्योरा :

क्र.सं.	श्रेणी	अपेक्षित क्षेत्र	प्रस्तावित हस्तक्षेप
1.	देखरेख और संरक्षण से बालक की अपेक्षाएं		
2.	स्वास्थ्य और पोषण की जरूरतें		
3.	भावनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक सहायता जरूरतें		
4.	शैक्षिक एवं प्रशिक्षण जरूरतें		
5.	फुरसत, रचनात्मकता तथा खेल		
6.	आसक्ति तथा अंतर–वैयक्तिक संबंध		
7.	धार्मिक विश्वास		
8.	सभी प्रकार के दुरूपयोग, उपेक्षा तथा दुर्व्यवहार से सुरक्षा के लिए जीवन–कौशल प्रशिक्षण और स्वयं की देखभाल		
9.	आत्मनिर्भर हेतु आजीविका कौशल		
10	अन्य ऐसा कोई महत्वपूर्ण अनुभव जैसे अवैध व्यापार, घरेलू हिंसा, पैतृक–उपेक्षा, स्कूल में भयभीत होना आदि जिसने बालक के विकास पर प्रभाव डाला हो (कृपया निर्दिष्ट करें)।		

ख. बालक की प्रगति रिपोर्ट (पहले 3 मास के लिए प्रत्येक पाक्षिक (15 दिन) में तैयार की जाए तत्पश्चात प्रत्येक माह तैयार की जाए)

(टिप्पणी : प्रगति रिपोर्ट के लिए अलग–अलग शीट का प्रयोग करें)

1. परिवीक्षा अधिकारी / मामला कार्यकर्ता / बाल कल्याण अधिकारी का नाम .....
2. रिपोर्ट की अवधि : दिनांक ..... से दिनांक .....तक
3. प्रवेश संख्या .....
4. बोर्ड अथवा समिति .....
5. प्रोफाइल संख्या .....
6. बालक का नाम .....
7. बालक के रहने की अवधि (जैसा लागू हो, भरें)
   - (i) अल्पकालिक (6 मास तक) ☐
   - (ii) मध्यम कालिक (6 मास से एक वर्ष) ☐
   - (iii) दीर्घकालिक (1 वर्ष से अधिक) ☐

8. साक्षात्कार स्थान ..... दिनांक .....

9. रिपोर्ट की अवधि के दौरान बालक का सामान्य आचरण तथा प्रगति

10. इस प्रपत्र के भाग–क के बिंदु 15 में उल्लिखित प्रस्तावित हस्तक्षेपों के संबंध में की गई प्रगति।

क्र. सं.	श्रेणी	प्रस्तावित हस्तक्षेप	बालक की प्रगति
1.	देखरेख और संरक्षण से बालक की अपेक्षाएं		
2.	स्वास्थ्य और पोषण की जरूरतें		
3.	भावनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक सहायता जरूरतें		
4.	शैक्षिक एवं प्रशिक्षण जरूरतें		
5.	फुरसत, रचनात्मकता तथा खेल		
6.	आसक्ति तथा अंतर–वैयक्तिक संबंध		
7.	धार्मिक विश्वास		
8.	सभी प्रकार के दुरूपयोग, उपेक्षा तथा दुर्व्यवहार से सुरक्षा के लिए जीवन–कौशल प्रशिक्षण और स्वयं की देखभाल।		
9.	आत्मनिर्भर हेतु आजीविका कौशल		
10	अन्य ऐसा कोई महत्वपूर्ण अनुभव जैसे अवैध व्यापार, घरेलू हिंसा, पैतृक–उपेक्षा, स्कूल में भयभीत होना आदि जिसने बालक के विकास पर प्रभाव डाला हो (कृपया निर्दिष्ट करें)।		

11. समिति या बोर्ड अथवा बाल न्यायालय के समक्ष कोई कार्यवाही।

(i) बंध–पत्र की शर्तों में फेर बदल

(ii) बालक के निवास में परिवर्तन

(iii) अन्य मामले, यदि कोई हो

12. पर्यवेक्षण पूर्ण होने की अवधि .....

पर्यवेक्षण का परिणाम, टिप्पणी सहित .....

.....

माता–पिता अथवा संरक्षक अथवा उपयुक्त व्यक्ति का नाम और पता जिनकी देखभाल में बच्चे को पर्यवेक्षण की समाप्त होने के बाद रहना है।

नाम : .....

पता : .....

रिपोर्ट की तारीख ..... परिवीक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर .....

ग. निर्मुक्त होने से पूर्व प्रतिवेदन (निर्मुक्त होने से 15 दिन पूर्व तैयार की जाए)

1. स्थानान्तरण के स्थान के ब्यौरे तथा स्थानान्तरण स्थान निर्मुक्त करने में उत्तरदायी संबंधित प्राधिकारी .....
2. विभिन्न संस्थाओं/परिवार में बालक के स्थापन के ब्यौरे .....
3. लिए गए प्रशिक्षण तथा अर्जित कौशल .....
4. बालक की अंतिम प्रगति प्रतिवेदन (संलग्न की जाए, कृपया भाग–ख देखें) .....
.....
.....
.....
.....
5. बालक की पुनर्वास तथा पुनः स्थापन की योजना (बालक की प्रगति प्रतिवेदनों के संदर्भ में तैयार की जाए)

क्र. सं.	श्रेणी	बालक के पुनर्वास तथा प्रत्यावर्तन की योजना
1.	देखरेख तथा संरक्षण से बालक की अपेक्षा	
2.	स्वास्थ्य तथा पोषण जरूरतें	
3.	भावनात्मक तथा मनोवैज्ञानिक सहायता जरूरतें	
4.	शैक्षिक तथा प्रशिक्षण जरूरतें	
5.	फुरसत, सृजनात्मक तथा खेल	
6.	आसक्ति तथा अंतर–वैयक्तिक संबंध	
7.	धार्मिक विश्वास	
8.	सभी प्रकार के दुरूपयोग, उपेक्षा तथा दुर्व्यवहार से सुरक्षा के लिए जीवन–कौशल प्रशिक्षण और स्वयं की देखभाल।	
9.	आत्मनिर्भर आजीविका कौशल	
10	अन्य कोई	

6. निर्मुक्त होने/स्थानान्तरण/से प्रत्यावर्तन की तारीख .....
7. अनुरक्षों की मांग,यदि अपेक्षित हो .....
8. अनुरक्षक की पहचान का प्रमाण – जैसे ड्राईविंग लाइसेंस, आधार कार्ड .....
9. संभव नियोजन/प्रयोज्यता सहित अनुशंसित पुनर्वास योजना .....
10. रिहाई–पश्चात अनुवर्ती कार्रवाई के लिए परिवीक्षा अधिकारी/गैर–सरकारी संगठन के ब्यौरे .....
11. रिहाई–पश्चात अनुवर्ती कार्रवाई के लिए पहचाने गए गैर–सरकारी संगठन के साथ समझौता ज्ञापन (एक प्रति लगाएँ) .....

९८

12. प्रायोजकता अभिकरण/वैयक्तिक प्रायोजक के ब्यौरे, यदि कोई हो .....
13. प्रायोजकता अभिकरण तथा व्यक्तिगत प्रायोजक के बीच समझौता (एक प्रति लगाएं) ....
14. निर्मुक्ति से पूर्व चिकित्सा जांच प्रतिवेदन .....
15. अन्य कोई जानकारी .....

घ. बालक की निर्मुक्ति पश्च/पुनः स्थापना प्रतिवेदन

1. बैंक खाते की स्थिति : बंद/अंतरित
2. बालक की आय तथा माल–असबाब : बालक को अथवा उसके माता–पिता/संरक्षक को सौंपा गया माता–पिता/संरक्षकः– ..... हाँ/नहीं
3. परिवीक्षा अधिकारी बालक की रिहाई–पश्चात अनुवर्ती कार्रवाई के लिए पहचाने गए बाल कल्याण अधिकारी/मामला कार्यकर्ता/सामाजिक कार्यकर्ता/गैर–सरकारी संगठन की प्रथम बातचीत का प्रतिवेदन .....
4. पुनर्वास तथा पुनःस्थापना योजना के संदर्भ में की गई प्रगति .....
5. बालक के प्रति परिवार का व्यवहार/अभिवृत्ति .....
6. बालक का सामाजिक वातावरण, विशेष रूप से पड़ौसियों/समाज का रूख .....
7. बालक द्वारा अर्जित कौशल का उपयोग किस प्रकार कर रहा है .....
8. क्या बालक को एक विद्यालय अथवा किसी व्यवसाय में प्रवेश दिलाया गया है?
   विद्यालय/संस्थान/ अन्य किसी अभिकरण का नाम तथा दिनांक लिखें ..... हां. नहीं
9. क्रमशः दो मास तथा छह मास के बाद बालक के साथ बातचीत पर दूसरी तथा तीसरी अनुवर्ती कार्रवाई का प्रतिवेदन .....
10. सामाजिक मुख्य धारा के प्रति प्रयास/इसके बारे में बच्चे की राय/विचार .....
11. पहचान पत्र तथा मुआवजा

(अनुदेश : कृपया वास्तविक दस्तावेजों के साथ सत्यान करें)

पहचान पत्र	वर्तमान स्थिति (कृपया जो लागू हो उस पर सही का निशान लगाएँ)		की गई कार्रवाई
	हां	नहीं	
जन्म प्रमाण पत्र			
स्कूल प्रमाण पत्र			
जाति प्रमाण पत्र			
बी.पी.एल. कार्ड			
विकलांगता का प्रमाण पत्र			
टीकाकरण कार्ड			
राशन कार्ड			
आधार कार्ड			
सरकार से प्राप्त हुआ मुआवजा			

परिवीक्षा अधिकारी / बाल कल्याण अधिकारी / मामला कार्यकर्ता के हस्ताक्षर मुहर तथा सील
जहां उपलब्ध हो

27

अनुलग्नक–क

गृह अध्ययन प्रतिवेदन (एच.एस.आर.) की तैयारी का प्रारूप

यह प्रारूप प्रायोजन के साथ बालक की देखरेख करने के लिए माता–पिता की क्षमता का आंकलन करने के लिए है और बालक और परिवार के कल्याण के लिए बहुत आवश्यक है। यह परिवार की सकारात्मक गुणवत्ता और नकारात्मक विशेषता के आधार द्वारा प्रायोजन के लिए एक मामला तैयार करने में सहायता करेगा।

बालक का नाम : .....

ए) पहचान संबंधी जानकारी : .....

पिता का विवरण : .....

पिता का नाम : .....

यूआईडी नम्बर, यदि उपलब्ध हो : .....

उम्र : .....

पता : .....

जिला : .....

पिता की शैक्षणिक योग्यता : .....

वित्तीय स्थिति : .....

व्यवसाय : .....

स्वास्थ्य जानकारी : .....

क्या पिता किसी भी इलाज के अन्तर्गत है? यदि हां, तो कृपया विवरण दें .....

माता का विवरण : .....

माता का नाम : .....

यूआईडी नम्बर, यदि उपलब्ध हो : .....

उम्र : .....

पता : .....

जिला : .....

माता की शैक्षणिक योग्यता : .....

वित्तीय स्थिति (क्या माता वर्तमान में कामकाजी है? यदि हां, तो लगभग कितनी आय है? यदि नहीं, तो कब से बेरोजगार है?) : .....

व्यवसाय : .....

स्वास्थ्य जानकारी : .....

क्या माता का कोई उपचार चल रहा है? यदि हां, तो कृपया विवरण दें

.....

.....

98

यदि बालक रिश्तेदारों की देखरेख में है तो अभिभावक का विवरण :

अभिभावक का नाम : .....

यूआईडी नम्बर, यदि उपलब्ध हो : .....

उम्र : .....

लिंग : .....

पता : .....

जिला : .....

शैक्षणिक योग्यता : .....

वित्तीय स्थिति : .....

व्यवसाय : .....

स्वास्थ्य विवरण : .....

क्या अभिभावक का कोई उपचार चल रहा है? यदि हां, तो कृपया विवरण दें

.....

.....

बी) परिवार के सदस्यों एवं अन्य बच्चों का विवरण –

अन्य भाई–बहन के नाम और उम्र (यदि कोई है) : .....

बालक और माता–पिता के बीच वर्तमान संबंध, (यदि कोई हो) : .....

परिवार के अन्य सदस्यों का विवरण : .....

घर और पड़ोसी : .....

सी) घर का विवरण और सुविधायें –

क्या परिवार में बालक के लिए निवास स्थान सुरक्षित और उपयुक्त है? .....

क्या स्वच्छता की पर्याप्त सुविधाएं है? .....

डी) क्या पड़ोस में कोई विद्यालय है?

– निजी या सरकारी? .....

– विद्यालय से दूरी कितनी है? .....

ई) क्या पड़ोस में किसी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध है?

– उदाहरणार्थ जैसे पीएचसी।

एफ) माता–पिता ने बालक को संस्थागत देखभाल में क्यों रखा? या बालक संस्थागत देखभाल में कैसे पहुँचा/या बाल संरक्षण तंत्र (सीडब्ल्यूसी/जेजेबी) में कैसे प्रवेश हुआ था ?

जी) माता–पिता ने बालक को किस वर्ष में संस्थान में भेजा था ? (यदि बालक संस्थान में है तो)

एच) बालक संस्थान में कितने समय के लिए था?/ बालक कितने वर्षो से संस्थान में था? (यदि बालक संस्थान में था, तो)

आई) बच्चे की विषमपरिस्थितियों के कारणों का पूर्ण आंकलन करना जिसके कारण बच्चा जोखिम में है।

जे) कोई अन्य अवलोकन/टिप्पणी :–

....

....

30

अनुलग्नक–ख

माता–पिता या 'उपयुक्त व्यक्ति' जिसको बच्चा दिया जा रहा है द्वारा वचनबद्धता

मैं. ..... निवासी मकान न. .....गली .....
गांव / कस्बा.....जिला ..... राज्य .....
मैं यह घोषणा करता हूँ कि मैं जिम्मेदारी लेने के लिये तैयार हूँ (बालक का नाम) .....
.....उम्र ..... बाल कल्याण समिति के आदेश के अन्तर्गत प्रायोजन कार्यक्रम के अनुसार ..... निम्न नियम और शर्तो के अधीनः

- यदि बच्चे का व्यवहार असंतोषजनक है तो मैं एक बार समिति को सूचित करूँगा।
- मैं बालक / बालिका जब तक वह मेरे प्रभार में है उसके कल्याण और शिक्षा के लिए सर्वोत्तम प्रयास करूँगा और प्रावधानों के अनुसार उचित देखभाल करूँगा।
- बालक / बालिक की बीमारी की स्थिति में, अपने नजदीकी चिकित्सालय में उचित चिकित्सा / उपचार पर धयान दिया जायेगा।
- मैं प्रायोजन कार्यक्रम की शर्तो का पालन करने के लिए सहमत हूँ।
- मैं वचन देता हूँ कि जब आवश्यक होगा तब उसे (बच्चे को) सक्षम प्राधिकारी के समक्ष पेश करूँगा।

दिनांक .....
दिन .....

हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर
एवं पता

JHARKHAND GUIDELINES FOR SPONSORSHIP OF CHILDREN 2018

JHARKHAND GUIDELINES FOR SPONSORSHIP OF CHILDREN, 2018

1. Introduction:

This Guideline derives strength from section 45 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act 2015 with Rule 24 of the JJ Rules, 2016 and the United Nations Convention on the Rights of the Child (1989).

The National Policy for Children adopted in 2013 recognises that all children have the right to grow in a family environment, in an atmosphere of happiness, love and understanding. The family or family environment is most conducive for the all-round development of children and they should not to be separated from their parents, except where such separation is necessary in their best interest.

The national plan of action for Children adopted in 2016 also emphasize on the importance of non-institutional care for children. The plan of action includes adoption, foster care and sponsorship as the priority area for protection of children. It recognises the importance of these family and community based arrangement for care and protection of children and provides an action plan to strengthen these arrangement through awareness, policy making, inter agency & interstate cooperation.

The Sponsorship programme is a family based care and protection programme for vulnerable children. The Fundamental principle behind these guidelines is every child's right to grow up in a family. In accordance with the child's age and level of development, he/she has the right to be consulted and to have his/her opinion taken into account in any matter or procedure affecting him/her.

2. Definition of sponsorship

In the context of these guidelines, "sponsorship" means provision of supplementary support, financial or otherwise, to the families to meet the medical, educational and developmental needs of the child;

It is a conditional assistance to improve the quality of life of the child.

3. Focus of the Scheme

The focus of the scheme is to provide sponsorship support to children to prevent separation of children from biological family through preventive sponsorship It also aims at helping children (residing in institutions/rescued victims) repatriate in the biological family through rehabilitative sponsorship.

i) **Preventive:** Support to families living in extreme conditions of deprivation or exploitation to enable the child to remain in his/her family

   Sponsorship support will be provided to a family living in conditions of deprivation or exploitation to enable a child to continue to remain in the biological or extended family to prevent children from becoming destitute / vulnerable, running away, forced into child marriage, forced into child work etc.

   The DCPU with the help of its social workers, outreach workers, volunteers as well as the Village Child Protection Committees shall identify vulnerable families or children for sponsorship support. (ICPS revised guidelines)

ii) **Rehabilitative:** Children within institutions can also be restored to families with sponsorship assistance. On the basis of the Individual Care Plan, an institution shall approach the CWC/JJB to recommend a suitable case to DCPU for rehabilitation through the sponsorship fund. Children who have been rescued from child trafficking or child labour, etc and produced before CWC or children in conflict with law produced before JJB may also be considered for sponsorship assistance for rehabilitation.
   (ICPS revised guidelines)

4. Criteria for Selection of Children / Family:

Mandatory criteria for selection of child/family for Sponsorship—

- Children below 18 years
- The total income of the family should not be more than Rs. 75,000 per year[1]

a) Criteria for Rehabilitative sponsorship

- Children staying in child care institutions (CCIs), foster care or group foster care, who can be restored to their families with financial support
- Children who are survivors of child marriage, child labour, trafficking or other abuses.
- Children who need any kind of rehabilitative support.

(b) Criteria for Preventive sponsorship

- Single Parent mostly mother or Children of a widow
- Children whose parents have died and living in kinship care
- The child is taking care of the whole family
- Child who has been abandoned by their parents and living with grandparents or in kinship care
- Children whose parent/s are in prison
- Those children whose parent/s is/are disabled or suffering from serious disease
- Children who are used or be used for illegal purpose
- HIV/AIDS affected children
- The child headed family

Priority shall be given to:

- Children whose parents have died/ abandoned and living in kinship care
- Those children whose parents are disabled or suffering from serious disease including HIV/ AIDS
- HIV/AIDS affected children
- Children of trafficking survivor
- Children of single mother

5. Financial Norms

Rs. 2000 per child per month for maximum 3 children per family with preference to girl child in the family[2]. The amount of sponsorship will be reviewed every 3 year.

Duration - Maximum three years[3], with the possibility of an extension for up to 18 years in exceptional circumstances.

6. Duration of Sponsorship

The duration of the sponsorship shall not ordinarily exceed three years. All efforts shall be made to empower the family financially and otherwise to take care of their children before expiry of sponsorship.

---

[1] In the order no. 752 dated 31-03-2017 of Labour Department the monthly minimum remuneration for unskilled work is stated to be Rs 6550. So the upper limit of the family income for sponsorship is fixed Rs. 75000 yearly which is less than the yearly remuneration for unskilled labour. This is further subjected to change in accordance to the further orders.

[2]The amount of minimum Rs 2000/month/child for sponsorship is mentioned in the chapter 10 section C (3.3) of the revised guidelines of Integrated Child Protection Scheme (ICPS).

[3]According to the section 24 (7) of the Jharkhand Juvenile Justice Rule 2017 normally the duration of sponsorship will not be more than 3 years.

7. Committee for approval of Sponsorship

Every district will have a Sponsorship and Foster Care Approval committee (SFCAC) for sponsorship approval. This Committee will be constituted in each district to implement and monitor the programme and would consist of the following members:

- District Child Protection Officer- Chairperson
- Protection Officer (Non-Institutional Care)- Member
- Chairperson/Member, Child Welfare Committee- Member
- Representative of SAA- Member
- Representative of a Voluntary Organization working in the area of Child Protection-Member

Meetings of this committee will be held on monthly basis and each case should be disposed within 90 days of the initiation.

8. Process of Approval

The sponsorship programme will be implemented by respective District Child Protection Unit

8.1 Process of approval for private sponsorship

(a)The District Child Protection Unit will create a list of persons or families or organisations interested in sponsoring a child (mostly in kind/services etc).

- The District Child Protection Unit shall forward this list to the [Child Welfare Committee] Committee or the [Juvenile Justice Board] Board or the Children's Court. The [Child Welfare Committee] Committee or the [Juvenile Justice Board] Board or the Children's Court, may suo motu, or on an application received in that behalf, may consider the placement of a child under sponsorship.
- CWC/JJB/Children Court can verify from the panel whether a sponsor is available to support such child
- CWC/JJB/Children Court can pass an order for placement of the child under sponsorship in Form 36 after reviewing ICP and home study report.
- CWC/JJB/Court will provide a copy of the same with DCPU for linkages and follow up

(b) JSCPS will mobilise funds from private donors (individual donors, organizations, CSR etc) for sponsorship and allocate the money to the DCPU in sponsorship and foster care fund according to the need of the district. This will be administered in the same process described in point no (8.2).

(c) The fund so mobilised shall be audited in the end of every financial year by a registered Chartered Accountant/ Auditor.

8.2 Process of approval for government aided sponsorship

8.2.1 Identification and recommendation of Children for sponsorship

8.2.1.1 Identification and recommendation of children for Sponsorship in CCI/ Institutional care:

i) Preparation of Individual care plan –

- The CCIs are must prepare Individual Care Plans (Annex A), within a month of admission, for each child residing in the Home.
- The care plan has to be prepared on the basis of home visits and detailed interviews of the parents/guardians and the child.

- Care plan should include the needs of the child and the nature of difficulties faced by the biological family which prompted them to place the child in the institution.
- It should also include the family's current situation including their reaction to the suggestion that they can be considered for financial support if they are willing to have their child back with them and their motivation to continue the child's education.

ii) Identification of children for sponsorship in Child Care Institution (CCIs) –

- Based on the Individual Care Plan, the Probation Officer (in case of CIL) or Child Welfare Officer (in case of CNCP) of the CCIs shall identify such children as may benefit from being restored to their families.
- Based on their assessment of the family's capacity to take care of the child, the CCI may recommend to the PO (IC), within one month of admission of the child, specific cases for restoration to family, with sponsorship support.

iii) Transmission of data to DCPU –

- The CCI shall send the individual child care plans, as well as disaggregated data, of all the children in their institution
- This should include sex, age, educational status and educational performance of child, child's health status, disability if any in child, whether one or both parents are alive, and parents' socio-economic status to the Protection Officer (Institutional Care) in the DCPU.
- Such data shall be updated every month by the CCI.

iv) Preparing list of children who would benefit from sponsorship –

- The PO (IC) of the DCPU will study the recommendations as well as data of all children received from all CCIs, and prepare a list of all the children whose own and family situation indicate that the child would benefit from restoration to the family with financial support.
- The PO (IC) may also include such children from the institutions who are not recommended by a CCI but are otherwise found eligible. Such process should not normally take more than 15 days.

v) Home Study Report by CCI –

- The PO (IC) will direct the concerned CCI to prepare a Home Study Report, of the family in a prescribed format (Annex B). After a home visit by the CWO/PO of the CCI.
- Such Home Studies should not take more than a month from the request from PO(IC).
- In case of children whose family is residing in another district, the PO (IC) will request the DCPU of that district to conduct the Home study through a suitable agency.

vi) Recommendation to Protection Officer (Non-Institutional Care) –

After receipt of the Home Study report, the PO (IC) will recommend suitable cases immediately to PO (NIC) for further processing.

vii) In case the child is from another district, the PO (NIC) will be required to contact that particular DCPU for further follow up and contact with the child's family in that district. In this instance the child will then need to be transferred to the CWC of that district after the Home Study and other formalities are completed.

viii) Scrutiny of Documents: The PO (NIC) will scrutinize the documents for eligibility of children recommended by PO(IC) for family reunification or placement. The recommended sponsorship cases would be approved by SFCAC at its monthly meeting. Documents required for deciding the recommendation should include

- Previous orders of CWC/JJB
- Individual care plan of the child
- Home study report

8.2.1.2. Identification and recommendation of children for Sponsorship for rehabilitation

i) Preparation of Individual care plan –

The respective DCPU are required to prepare Individual Care Plans (Annex A), within a month, for each CNCP or CCL child who have come in the system who require rehabilitation. The care plan has to be prepared on the basis of home visits and detailed interviews of the parents/guardian and the child, and should include the needs of the child and the nature of difficulties faced by the biological family which increased vulnerability of the child, the family's current situation including their reaction to the suggestion that they can be considered for financial support if they are willing to have their child back with them and their motivation to continue the child's education.

ii) Recommendation to Protection Officer (Non-Institutional Care) –

The CWC and JJB then can recommend these children to be considered for the sponsorship based on ICP and recommend children to PO (NIC) for further process.

iii) Home study Report by PO (NIC)/ case worker/social worker/ volunteer –

The PO (NIC) will conduct home study with help of case worker/social worker/ volunteer of the family in a prescribed format (Annex B),. Such Home Studies should not take more than a month from the request from CWC/JJB. In case of children whose family is residing in another district, the PO (NIC) will request the DCPU of that district to conduct the Home study through a suitable agency.

iv) In case the child is from another district, the PO (NIC) will be required to contact that particular DCPU for further follow up and contact with the child's family in that district. In this instance the child will then need to be transferred to the CWC that district after the Home Study and other formalities are completed.

v) Scrutiny of Documents: The PO (NIC) will scrutinize the documents for eligibility of children recommended by PO(IC) for family reunification or placement. The recommended sponsorship cases would be approved by SFCAC at its monthly meeting. Documents required for deciding the recommendation should include-

- Previous orders of CWC/JJB
- Individual care plan of the child
- Home study report

8.2.1.3 Identification and recommendation of children for Sponsorship for preventive care –

i) Identification for children for sponsorship–

The DCPU with the help of its social workers, outreach workers, volunteers as well as the Village Child Protection Committees/ Ward Child Protection Committees shall identify vulnerable families or children for sponsorship support. (3.1 ICPS guidelines)

ii) Preparation of Individual care plan –

The respective DCPU are required to prepare Individual Care Plans (Annex A), within a month, for each CNCP child who have been identified by social workers, outreach workers, volunteers as well as the Village Child Protection Committees/ Ward Child Protection Committees. The care plan has to be prepared on the basis of home visits and detailed interviews of the parents/ guardians and the child, and should include the needs of the child and the nature of difficulties faced by the biological family.

iii) **Recommendation to Protection Officer (Non-Institutional Care) –**

The DCPO then can recommend these children to be considering for the sponsorship based on ICP and recommend children to PO (NIC) for further process.

iv) **Home study Report by PO (NIC)/ case worker/social worker/ volunteer –**

The PO (NIC) will conduct home study with help of case worker/social worker/ volunteer of the family in a prescribed format (Annex B). Such Home Studies should not take more than a month from the request from DCPU.

v) Scrutiny of Documents: The PO (NIC) will scrutinize the documents for eligibility of children recommended by PO(IC) for family reunification or placement. The recommended sponsorship cases would be approved by SFCAC at its monthly meeting. Documents required for deciding the recommendation should include-

- Previous orders of CWC/JJB
- Individual care plan of the child
- Home study report

8.2.2 Approval of Sponsorship –

The process of Approval will take place in two steps.

- Firstly, the sponsorship will be approved in the SFCAC
- Then the final order shall be passed by the CWC/JJB

8.2.2.1 Approval process by SFCAC –

The SFCAC will review each recommendation and approve family-based sponsorship support in all cases found deserving by it and based on the availability of funds.

Duration of a sponsorship is to be decided by SFCAC on a case-by-case basis depending on the family circumstances, age of the child etc. for a period not exceeding three years. In exceptional cases the SFCAC may decide to extend the period of support beyond three years if, during review it finds that the child is doing well within the family and continued support is essential for the well-being of the child.

8.2.2.2 Final Order of CWC/JJB –

i) The JJB/CWC will examine the Individual Care Plan of the child, Home Study report of the family and approvals of SFCAC submitted by the PO (NIC), and satisfy itself regarding the suitability of the child /family for sponsorship support. The CWC/JJB should also ensure that the child has got admission into school before the placement order is passed.

ii) In case of a child who is able to understand, the CWC/JJB may also interview the child to take into account his/her assent to the placement.

iii) Before passing the final order CWC/JJB will verify the availability of the fund/sponsor required to support the Sponsorship. In case if the sufficient funds or sponsorship is not available it can request JSCPS/Project Director ICPS to provide fund for sponsorship.

The JJB/CWC shall make an order in the prescribed format given in the J. J. Rules [Form XVIII Rule 37 (5)], for support to the child through sponsorship, and send a copy to DCPU for appropriate action and one copy to JSCPS/Project Director ICPS for information.

9 Commencing Sponsorship support (and Placement in Family in case of deinstitutionalized children) –

i) The DCPU would send the list of the children approved for sponsorship support to the concerned V/WLCPC for information for monitoring and follow-up.

ii) Preparing the child and family for sponsorship:

- The DCPU, of the district where the family is residing, through the PO (NIC)/ Social Worker/ outreach worker, will guide the family and the child regarding the support that they would be given and the responsibilities they would be required to fulfill under the sponsorship programme.
- He/she will need to explain to biological parents that they are responsible for providing shelter, nutrition, medical, protection and education needs as well as emotional care and nurturing to the child.
- It is binding on the biological parents/guardian that if their child is of school going age i.e. above 6 years, they have to ensure that the child attends school. Children between 3-6 years are to regularly attend Anganwadis.
- He/she will need to inform them that they will receive a monthly grant of Rs 2000 per child for this purpose.
- As it is conditional cash transfer, the progress of the child will be reviewed.
- Prior to re-integration of the child into his/her own family, the child and the family would be counselled so the child and family can adapt to the new situation.

iii) Process of Commencing Sponsorship support (and Placement in Family in case of deinstitutionalized children):

- The DCPO will open a Post Office account/ bank account in the name of the child, to be operated by the child's guardian, preferably by the mother.
- The money will be directly transferred from the DCPU's bank account to the Post Office/bank account of the child at the beginning of every quarter
- The DCPO will arrange for escorting the child from the CCI to the family's residence
- The DCPO will provide assistance to the family in enrolment of the child in a school near his/her place of residence, through SSA. He/she will also ensure that all facilities including uniforms, books etc. are provided to the child as under the rules of SSA.
- The DCPU will ensure the parents role by signing an undertaking with the parents on Commencement of the sponsorship.

10 Convergence with other Departments:

- Strengthening of the family through convergence with other Departments may strengthen the capacities of families to look after the children eventually reduce dependence on sponsorship support. The DCPU may establish linkages with other Departments including Rural Development Agency, Panchayati Raj Agency, Tribal Development Agency etc., to enable the child and the families to avail of benefits to which they are entitled through convergence. Such efforts may include housing through Indira Avas Yojna, employment through NREGA, and support to women through self help groups and assistance in getting loans etc.

10.1. Role of Judiciary

- Train paralegal volunteers on sponsorship to spread awareness and provide legal assistance at community levels.
- High Court Committee on Juvenile Justice can monitor implementation of sponsorship program.

10.2. Role of Education Department

- Actively engage to reduce the stigma surrounding adopted/ fostered/ sponsored children.
- Engage community level mechanisms to keep track of children who are in sponsorship, enrolled in school but not going to school or have dropped out as it violates the conditions of sponsorship. Establish co-ordination among School Management Committee(SMC) and Village Child Protection Committee (VCPC)

- Share the report on attendance of children going to government school under sponsorship program to DCPU on a monthly basis.

10.3 Role of Health Department

- Extend services of RBSK to children under sponsorship and provide free and timely treatment.
- Regular nutritional check-up and subsequent management for children in sponsorship by ANM and share the report with DCPU.

10.4. Role of Non Governmental Organisations

Non Governmental Organisations empanelled by Deputy Commissioner may support DCPU in roll out of sponsorship program can support DCPU/VCPC to:

- Short list eligible children;
- Preparation of Individual Care Plan, Child Study Report and Home Study Report;
- Counselling for the child, parents and extended families, as required
- Preparation of Information, Education and Communication material
- Spreading awareness on the Sponsorship and Advocacy
- Periodic / regular inspections/follow up visits of children in sponsorship

11 Counselling and Guidance:

Once the sponsorship support begins, the DCPU will provide supportive services such as counseling and guidance programs for holistic development and safety of children and capacity building of the family towards long term empowerment through work with individual families and with them in groups.

12 Role of Parents/guardians

The parents/guardians will–

- sign an undertaking that they would take care of all the needs of the child (Annex C)
- ensure that he/she attends anganwadi/school (75% attendance)
- ensure that the child receives age appropriate nutrition
- provide due health care, including timely immunization
- ensure that the child is not put into gainful/hazardous employment
- ensure that the child is residing with family
- ensure that the child is protected from violence and abuse in the family

13 Monitoring and Review

i) The PO (NIC) will maintain an individual case file for each child under sponsorship and draw up a clear care plan after discussion with the child and the parents.

ii) The PO (NIC) will make home, school, and anganwadi visits at least once in quarter, obtain attendance certificates and maintain records of the same. During the home visit, the PO would also note the general well-being of the child, including his/her health and general family environment, as well as progress in school.

iii) DCPU/S should ensure that attendance reports of each child under sponsorship to be submitted at DCPU on a monthly basis by education department or ICDS.

iv) Parents should be encouraged by DCPU to obtain 'Aadhar' number for themselves and the child.

v) An annual review will be conducted for each child under sponsorship by the CWC to determine if the child is being well taken care of and has is well adjusted. On the basis of this review the approval for continued sponsorship support will be given.

vi) The DCPC will review if the DCPU has made adequate efforts for family strengthening through convergence with other Departments.

vii) Only in exceptional circumstances, if the sponsorship is required for more than three years/ the period stipulated in ICPS, a review will be conducted by SCPS to ensure that the child is progressing well and that all efforts have been made to strengthen the family.

viii) DCPU will update information related to children sponsorship in CPMIS on monthly basis.

ix) Records to be maintained by DCPU: The PO (NIC) of the DCPU will have to maintain the following records:

i. Intake register- mentioning details of all the children referred for sponsorship assistance;

ii. Master register should provide a disaggregated picture of the whole process including:

- Date of placement,
- Child's gender
- Age of child at time of placement,
- Parental status,
- Educational status of child,
- Period of placement according to the order of the CWC,
- Child's health status,
- Child's educational progress,
- Number of children sponsored in the family,
- Date and reasons of termination of placement.
- Alternative placement and current location of the child.
- Register of disbursement of sponsorship grant to family.
- Minutes of the meetings of the SFCAC and DCPC.

iii. Individual file of every child placed in family based sponsorship service which should have the following documents:

- Source of referral,
- Home study report of the biological family and the child,
- Care plan envisaged at time of placement,
- The placement order of the District CWC/JJB,
- Number of visits to the sponsored child and his/her family, child's school and significant details of each visit,
- Observations made at the time of each review of the placement in terms of extent and quality of compliance with care plans, child's developmental milestones, child's health, child's progress at school, and change in family environment.
- Date and reason for termination of sponsorship when sponsorship is terminated.

x) Submission of Quarterly reports to SFCAC: The PO (NIC) of the DCPU will place quarterly reports of each child before the Sponsorship and Foster Care Approval Committee (SFCAC) every quarter for review. In exceptional circumstances, where the progress of the child is highly unsatisfactory, the PO (NIC) may specifically bring this to the notice of SFCAC.

xi) Regular update of information related to sponsorship care extended to children on the CP MIS on a monthly basis

xii) Submission of Annual report to the DCPC and the SCPC: The PO of the DCPU will have to prepare a consolidated annual report which will need to be placed before the District Child Protection Committee (DCPC) and the State Child Protection Committee (SCPC) for review in order to ascertain the child's progress and the family's efforts at meeting the physical and psychosocial needs of the child.

14 Termination of the Sponsorship: SFCAC may terminate the family based sponsorship service in the following circumstances-

- When the child has achieved the age of 18 years
- When the family's economic position has improved and it does not need this service for meeting the educational or other needs of their child/children.
- The child has stopped going to school and/or anganwadi (except in special instances of disability or illness of the child which shall be verified by DCPU). At least 75% attendance in school is necessary.
- Child has been once again placed in an institution
- In case child has medical problems and parents are unable to provide the necessary care.
- In case the child and family are unable to adjust even after being with each other for at least three months
- In case as child is not residing with family without prior permission for more than 10 days
- In case of child marriage
- In case of employment of child in gainful/hazardous work
- In case if violence/abuse is inflicted on the children in the family

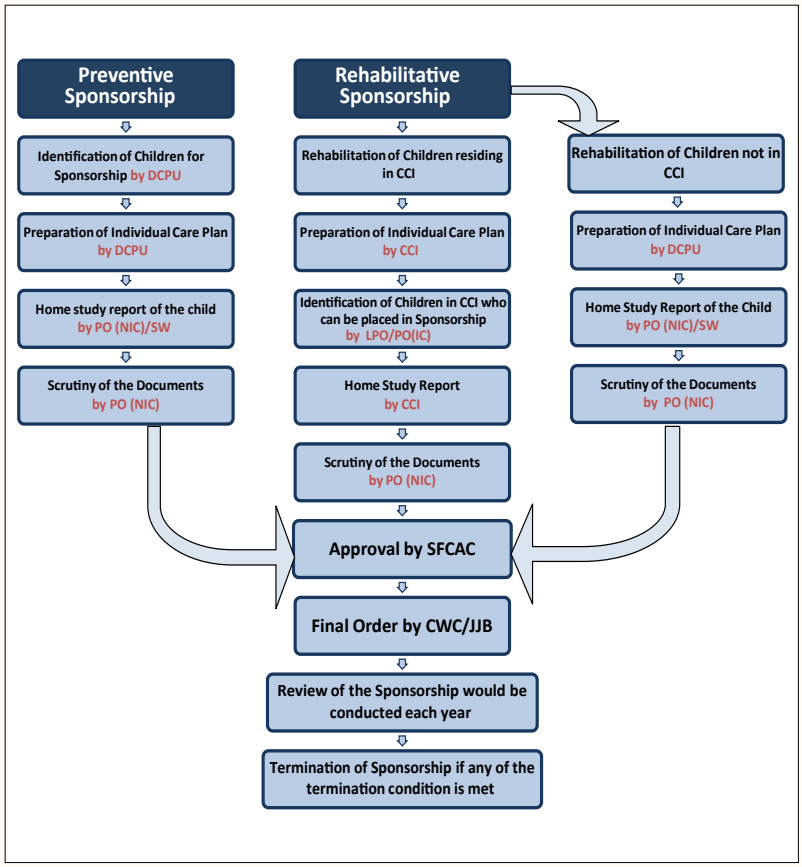

Process of termination of sponsorship –

- The PO(NIC) of the DCPU should place before the SFCAC the current situation of the child and family and reasons for possible termination of the service and seek its advice for further action on behalf of the child.
- SFCAC will review the case and if need be recommend termination of sponsorship to CWC
- If the SFCAC may recommend alternate care and rehabilitation measure for the child, if required. This may include, and alternative placement with a relative or close friend of the family, foster care, a small group home or institutionalisation. In such a case the PO (NIC) would approach the CWC for suitable placement of the child recommending CWC about termination of sponsorship.

Management of Sponsorship & Foster Care Fund

ICPS will support creation of a Sponsorship & Foster Care Fund which will be placed at the disposal of DCPU. The SCPS will review the utilization of the Fund and issue strict direction to DCPU for effective utilization of fund. The State Governments/ UT Administrations may augment this fund through additional grants and donations.

The sponsorship amount will be directly transferred from the DCPU's bank account to the Post Office / Bank account of the child.

Revision of guidelines –

State government will bring in the revisions/additions in guidelines if need be, from time to time through notification/circulars

FORM 36
[Rule 24(5)]

ORDER OF SPONSORSHIP PLACEMENT

The child (name and address).....

age .....d/o or s/o Mr .....

and/or Mrs .....

has been identified as a child needing sponsorship support for education/ health/ nutrition/ other

developmental needs ..... please specify). The District Child Protection Unit is hereby

directed to release Rs ..... per month/ Rs ..... as one time sponsorship support to the

said child for a period of..... (days/month) and carryout necessary follow up and for the said purpose shall open a bank account in the name of the child .....

to be operated by .....

Children's Court/ Principal Magistrate, Juvenile Justice Board/
Chairperson/Member, Child Welfare Committee

ANNEX A

FORM 7

[Rules 11(3), 13(7)(vi), 13(8)(ii), 19(4), 19(17), 62(6)(vii), 62(6)(x), 69 I (3)]

INDIVIDUAL CARE PLAN
Child in Conflict with Law/ Child in Need of Care and Protection
(tick whichever is applicable)

Name of Case Worker/Child Welfare Officer/Probation officer .....

Date of preparing the ICP .....

Case/Profile No..... of 20.....

FIR No .....

U/Sections (Type of offence),applicable in case of Children in Conflict with Law.....

Police Station .....

Address of the Board or the Committee .....

Admission No.(if child is in an institution.....

Date of Admission (if child is in an institution.....

Stay of the child (Fill as applicable)

(i) Short term (up to six months) ☐

(ii) Medium Term (six months to one year) ☐

(iii) Long term (more than 1 year) ☐

A. PERSONAL DETAILS (to be provided by child/parent/both on admission of the child in the institution)

1. Name of the Child.....
2. . Age/Date of Birth.....
3. Aadhaar Card No .....
4. Sex: Male/Female.....
5. Father's name .....
6. Mother's name.....
7. Nationality.....
8. Religion.....
9. Caste .....
10. Language spoken.....
11. Level of Education .....
12. Details of Savings Account of the child, if any.....
13. Details of child's earnings and belongings, if any .....
14. Details of awards/rewards received by the child, if any .....
15. Based on the results of Case History, Social Investigation report and interaction with the child, give details on following areas of concern and interventions required, if any

S.No.	Category	Areas of concern	Proposed Interventions
1	Child's expectation from care and protection		
2	Health and nutrition needs		
3	Emotional and psychological support needs		
4	Educational and Training needs		
5	Leisure, creativity and play		
6	Attachments and Inter-personal Relationships		
7	Religious beliefs		
8	Self care and life skill training for Protection from all kinds of abuse, neglect and maltreatment		
9	Independent living skills		
10	Any other such as significant experiences which may have impacted the development of the child like trafficking, domestic violence, parental neglect, bullying in school, etc. (Please specify)		

B. PROGRESS REPORT OF THE CHILD (to be prepared every fortnight for first three months and thereafter to be prepared once a month)

[Note: Use different sheet for Progress Report]

1. Name of the Probation Officer/Case Worker/Child Welfare Officer.....

2. Period of the report.....

3. Admission No.....

4. Board or Committee.....

5. Profile No.....

6. Name of the Child.....

7. Stay of the child (Fill as applicable)

   iv) Short term (up to six months)

   v) Medium Term (six months to one year)

   vi) Long term (more than 1 year)

8. Place of interview ..... Dates.....

9. General conduct and progress of the child during the period of the report

.....

.....

10. Progress made with regard to proposed interventions as mentioned in point 14 of Part A of this Form.

S.No.	Category	Proposed Interventions	Progress of the child
1	Child's expectation from care and protection		
2	Health and nutrition needs		
3	Emotional and psychological support needed		
4	Educational and Training needs		
5	Leisure, creativity and play		
6	Attachments and Inter-personal Relationships		
7	Religious beliefs		
8	Self care and life skill training for Protection from all kinds of abuse, neglect and maltreatment		
9	Independent living skills		
10	Any other such as significant experiences which may have impacted the development of the child like trafficking, domestic violence, parental neglect, bullying in school, etc. (Please specify)		

11. Any proceedings before the Committee or Board or Children's Court

i) Variation of conditions of bond

ii) Change of residence of the child

iii) Other matters, if any

12. Period of supervision completed on .....

Result of supervision with remarks (if any).....

Name and Addresses of the parent or guardian or fit person under whose care the child is to live after the supervision is over .....

Date of report ..... Signature of the Probation Officer .....

C. PRE-RELEASE REPORT (to be prepared 15 days prior to release)

1. Details of place of transfer and authority concerned responsible in the place of transfer/release
2. Details of placement of the child in different institutions/family
3. Training undergone and skills acquired
4. Last progress report of the child (to be attached, refer Part B)
5. Rehabilitation and restoration plan of the child (to be prepared with reference to progress reports of the child)

S.No.	Category	Rehabilitation and restoration plan of the child
1	Child's expectation from care and protection	
2	Health and nutrition	
3	Emotional and psychological	
4	Educational and Training	
5	Leisure, creativity and play	
6	Attachments and Inter-personal Relationships	
7	Religious belief	
8	Self care and life skill training for Protection from all kinds of abuse, neglect and maltreatment	
9	Independent living skills	
10	Any other	

6. Date of release/transfer/repatriation .....
7. Requisition for escort if required .....
8. Identification Proof of escort such as driving license, Aadhar Card, etc.....
9. Recommended rehabilitation plan including possible placements/sponsorships.....
10. Details of Probation Officer/non-governmental organization for post-release follow-up

    .....
11. Memorandum of Understanding with non-governmental organisation identified for post-release follow-up (Attach a copy).....
12. Details of sponsorship agency/individual sponsor, if any .....
13. Memorandum of Understanding between the sponsoring agency and individual sponsor (Attach a copy) .....
14. Medical examination report before release .....
15. Any other information.....

D. POST-RELEASE/RESTORASTION REPORT OF THE CHILD

1. Status of Bank Account : Closed / Transferred
2. Earnings and belongings of the child: handed over to the child or his parents/guardians – Yes/No
3. First interaction report of the Probation Officer/Child Welfare Officer/Case Worker /social worker/non-governmental organisation identified for follow-up with the child post-release .....
4. Progress made with reference to Rehabilitation and Restoration Plan.....
5. Family's behavior/attitude towards the child .....
6. Social milieu of the child, particularly attitude of neighbours/community .....
7. How is the child using the skills acquired .....
8. Whether the child has been admitted to a School or vocation? Give date and name of the school/ institute/any other agency **Yes/No**

   .....
9. Report of second and third follow-up interaction with the child after two months and six months respectively.....
10. Efforts towards social mainstreaming and child's opinion/views about it .....
11. Identity Cards and Compensation

    [Instruction: Please verify with the physical documents]

IDENTITY CARDS	**Present status (Please tick whichever is applicable)**		
	Yes	**No**	**Action taken**
Birth Certificate			
School certificate			
Caste certificate			
BPL Card			
Disability Certificate			
Immunization card			
Ration Card			
Adhaar Card			
Received compensation from Government			

Signature of the Probation Officer/Child Welfare Officer
Stamp and Seal where available

ANNEX B

FORMAT FOR PREPARATION OF HOME STUDY REPORT (HSR)

This format is for assessing the ability of parents to take care of the child with sponsorship and is very important for the well being of the child and for the family. It should also be supported by assessment of positive qualities and negative characteristics of the family to make a case for sponsorship.

Name of Child:

a. Identifying Information:

Details of Father:

Name of Father:

UID number, if available:

Age:

Address:

District:

Educational Qualifications of Father:

Financial Situation:

Occupation:

Health History:

Is father under any treatment? If so, please give details

Details of Mother:

Name of Mother:

UID number, if available: Age:

Address:

District:

Educational Qualifications of Mother:

Financial Situation: (Is Mother currently employed? If so, what is approximate income? If not employed, since when?)

Occupation:

Health History:

Is Mother under any treatment? If so, please give details

Details of the guardian if child is in kinship care

Name of guardian:

UID number, if available:

Age:

Sex:

Address:

District:

Educational Qualifications of Father:

Financial Situation:

Occupation:

Health History:

Is under any treatment? If so, please give details

(b) Detail's of other children and family members

Name and age of other siblings (if any):

Current relationship between the parents and children, if any;

Details of other family members:

Home and Neighborhood:

(c) Description and amenities of the home

Is the place of residence of family safe and suitable for the child? Are the sanitation facilities adequate?

(d) Is there a School in the neighbourhood?

Private or Government? Distance to School?

(e) Are there any health facilities available in the neighbourhood? Eg. PHC?

(f) Why did parents place child in the institution? Or/ How did child reach/enter institutional care/ enter in child protection system (CWC/JJB)?

(g) Year when parents sent child to institution (if child is in institution).

(h) For how long was child in the institution?/ Number of years that child was in the institution (if child was in institution)

(i) Complete assessment of the reason of the vulnerability which puts child at risk

(j) Any other observation/comment

ANNEX C

UNDERTAKING BY THE PARENT OR 'FIT PERSON' TO WHOM CHILD IS RESTORED

I ..... resident of

House no. ..... Street..... Village/Town ..... District .....

State .....do hereby declare that I am willing to take charge of (name of the child)

.....Aged ..... under the orders of the Child

Welfare Committee as per the Sponsorship Programme .....

subject to the following terms and conditions:

(i) If his/her conduct is unsatisfactory I shall at once inform the Committee.

(ii) I shall do my best for the welfare and education of the said child as long as he/ she remains in my charge and shall make proper provision for his/her maintenance.

(iii) In the event of his/her illness, he/she shall have proper medical attention in the nearest hospital.

(iv) I agree to adhere to the conditions of the sponsorship programme

(v) I undertake to produce him/her before the competent authority as and when required.

Date this ……day of ……..

Signature

Signature and address of witness (es)

(Signed)

Notes

Notes

Notes